तृतीय माला खण्ड १०—अंक १६

बुधवार, २८ नवम्बर, १९६२
७ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

PARLIAMENT LIBRARY
P-75
No. 16
15.1.63

3rd Lok Sabha

(खण्ड १० में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्न का मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . १५८३—८६

युद्ध विराम के बारे में १५८६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १५८६–८७

राज्य-सभा से सन्देश १५८७

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन १५८७

भारत की प्रतिरक्षा विधेयकः—

खंड १८ से नया खंड ४९ और १ . . . १५८७–१६०१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . १६०१

श्री ही० ना० मुकर्जी १६०१–०२

श्री रंगा १६०२

श्री हरि विष्णु कामत १६०३

श्री राम सेवक यादव १६०३–०५

श्री त्यागी १६०५

श्री लहरी सिंह १६०५–०६

श्रीमती यशोदा रेड्डी १६०६

श्री काशी राम गुप्त १६०६–०७

श्री श्याम लाल सर्राफ १६०७–०८

श्री शिव नारायण १६०८

श्री प्रकाशवीर शास्त्री १६०८–१०

श्रीमती लक्ष्मी बाई १६१०–११

श्री दातार १६११–१२

सदस्य की गिरफ्तारी

राज्य सहयोजित बैंक (विविध उपबन्ध) विधेयक . . . १६१३–१७

विचार करने का प्रस्ताव १६१३–१७

श्री ब० रा० भगत १६१३–१४

श्री काशी राम गुप्त १६१४–१५

श्री प्रभात कार १६१५

श्री श्याम लाल सर्राफ १६१५–१६

खंड २ से ६ और १ . . . . १६१६

पारित करने का प्रस्ताव १६१६

श्री ब० रा० भगत १६१६–१७

लोक-सभा

बुधवार, २८ नवम्बर, १९६२

७ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा बारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न

चीनी सेना द्वारा बन्दी बनाये गये भारतीय

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३. श्री यशपाल सिंह :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री किशन पटनायक :
श्री राम सेवक यादव :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री विभूति मिश्र :
श्री हेम बरूआ :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीनी सेना द्वारा बन्दी बनाये गये भारतीय सैनिकों के बारे में औपचारिक रूप से कोई सूचना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें तिब्बत में बन्दी बना कर रखा गया है या चीन में ;

(ग) उनकी संख्या कितनी है ; और

2410(Ai)LSD—1.

(घ) क्या सरकार ने किसी अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास एजेंसी को उनकी देख-भाल करने के लिये कहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) कोई सूचना प्राप्य नहीं है ।

(ग) १६ नवम्बर १९६२ को चीन के विदेश मंत्रालय द्वारा पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास को दी गई सूचना के आधार पर ९२७ ।

(घ) सरकार ने इस विषय में सहायता देने के लिए अन्तरर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति से प्रार्थना की है । अन्तर्रा ट्रीय रेडक्रास समिति को जिनेवा कन्वेनशन को व्यवहार में लाने या युद्ध बन्दियों के बारे में और विवरण सम्बन्धी कोई पत्र अब तक चीन सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है । चीन सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर उन्होंने अपने एक प्रतिनिधि को बात-चीत करने के लिये पेकिंग भेजने का प्रस्ताव किया है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इन में जख्मी लोग कितने हैं और तन्दुरुस्त लोग कितने हैं और रैंकवाइज़ इनका नम्बर क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : अगर इत्तिला ही नहीं आई तो इसका जवाब वह क्या दें ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि ये लोग चीन में रखे हुए हैं या तिब्बत में रखे हुए हैं ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : जब तक कोई औपचारिक सूचना न प्राप्त हो जाये तब तक कोई जानकारी देना मेरे लिए कठिन है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या भारतीय सशस्त्र सेना ने किन्हीं चीनी युद्ध बंदियों को कैद किया है और यदि हां, तो क्या इसका यह कारण है जैसा कि दुनिया के कुछ अखबारों में लिखा गया है, कि चीनियों ने घायल चीनी सिपाहियों को गोली मार दी और इसीलिए हम किन्हीं युद्ध बंदियों को कैद नहीं कर सके ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : मैं समझता हूं कि यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या हमारे पास कोई युद्ध बंदी हैं ?

श्री यशन्वन्त राव चव्हाण : जी नहीं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : जो हमारे राजदूत इस समय पेकिंग में हैं, उन्होंने चीन सरकार से कुछ इस प्रकार का अनुरोध किया है कि बन्दी भारतीयों की देखरेख के लिए वह स्वयं जायें अथवा अपने किसी प्रतिनिधि को वहां भेजें ? यदि हां तो इसके सम्बन्ध मे चीन सरकार ने हमारे राजदूत को क्या उत्तर दिया है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण** : सामान्य प्रक्रिया यह है कि रेड क्रास अन्तर्राष्ट्रीय समिति के ज़रिये कार्यवाही आरम्भ की जाये और वह की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार को मालूम है कि चीनियों के कब्जे में कुछ हमारे पदाधिकारियों से चीनी रेडियो या पेकिंग रेडियो या लासा रेडियों से प्रसारण कराये जाते हैं और यदि हां क्या भविष्य में उन्हें रोकने के लिए सरकार ने इन प्रसारणों को खंडित किया है ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलग प्रश्न है।

श्री कच्छवाय : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार ने कितने चीनियों को बन्दी बनाया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सवाल हो चुका है और इसका जवाब भी दिया जा चुका है ?

†**श्री सं० मो० बनर्जी :** अब चूंकि हमारे कई वरिष्ठ अधिकारी वहां से सुरक्षित लौट आये हैं, क्या हमें उन से कोई जानकारी मिल सकती है कि चीनियों ने कितने भारतीय सिपाहियों को गिरफ्तार कर रखा है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** हमें उनसे कोई जानकारी नहीं मिली है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या सरकार के वर्तमान प्रयत्न केवल इस दिशा में होंगे कि उन कैदियों के स्वास्थ्य और कुशलता के बारे में जानकारी प्राप्त की जाये या इस बात को देखते हुए कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक, दोनों देशों के बीच युद्ध की कोई राजकीय घोषणा नहीं हुई है, क्या सरकार उन्हें यथाशीघ्र छड़ाने का भी प्रयत्न करेगी?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** उन्हें छुड़ाने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जाता। यद्यपि युद्ध की घोषणा नहीं की गई है फिर भी जेनेवा सेन्धि किसी दूसरे संघर्ष पर भी लागू की जा सकती है। इन्हीं परिस्थितियों में प्रयत्न किया जा रहा है।

†**श्री राम सेवक यादव :** ये जो गिरफ्तार हुए हैं ये किन परिस्थितियों में, किस तरह और कहां पर गिरफ्तार हुए हैं, क्या इस तरह की भी कोई चीज बतायी जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की चीज का अभी कुछ पता नहीं है।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या भारत सरकार को इस बात का पूरा विश्वास है कि अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास संगठन को ठीक ठीक मालूम हो गया है कि कारावास में हमारे बन्दियों के साथ किस तरह का बर्ताव किया जा रहा है ?

†**श्री यशवन्त राव चव्हाण :** वास्तविक तथ्य यह है कि चीन सरकार भी इस सम्मेलन में एक सदस्य के तौर पर थी। उसने इस सम्मेलन की कार्यवाही को स्वीकृत किया है लेकिन हमें बताया गया है कि उसके अनुमोदन में कुछ शर्तें हैं। अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति ने उसे एक पत्र भेजा है। पत्र का उत्तर प्राप्त होन क बाद उसने इस बारे में और आगे जानकारी प्राप्त करने के लिये एक प्रतिनिधि भेजने का निश्चय किया है। अभी फिलहाल हमारे पास इससे अधिक कोई जानकारी नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : चीनियों ने एक तरफा घोषणा का इतना प्रचार किया है कि वे इस देश से पीछे हट रहे हैं और वे तथाकथित मैकमहोन रेखा से पीछे हट जायेंगे। क्या उन्होंने इस विशिष्ट सम्बन्ध में युद्ध बंदियों के बारे में कुछ कहा है और क्या उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां अभी कुछ नहीं प्राप्त हुआ है ?

†**श्री हनुमन्तैया** : इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन अधीन जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, क्या हम यह समझें कि चीन और भारत के बीच युद्ध घोषित कर दिया गया है ?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : युद्ध की घोषणा न होने पर भी यह संधि लागू की जा सकती है ।

युद्ध-विराम के बारे में

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : क्या मैं जान सकता हूं कि जब हमारी तरफ से बार बार लिख कर दिया गया है कि अब चाइना गवर्नमेंट की फाइनल रिपोर्ट सीज फायर के मुतल्लिक आ चुकी है यह हाउस कब तक इस मामले में इन्फार्म किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं पूछ कर आप को बतला दूंगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन अधिसूचनाएं

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ०मु० थामस)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अतिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २० नवम्बर, १९६२ की अधिसूच ा संख्या जी० एस० आर० १५४८ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (संसोधन) आदेश, १९६२। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल- टी०–६१८/६२]**

(दो) दिनांक २० नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५४९ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश १९६२ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–६१९/६२]**

(तीन) चावल (पंजाब से आयात) आदेश, १९६१ को रद्द करने वाली दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५६१ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–६२०/६२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) सातवां संशोधन नियम

†**निर्माण, तथा आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५४१ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) सातवां संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ६१७/६२]**।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा अपनी २६ नवम्बर, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २२ नवम्बर, १९६२ को पास किये गये पांडिचेरी (प्रशासन) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

भारत की प्रतिरक्षा विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब नागरिक प्रतिरक्षा तथा हित, भारत की प्रतिरक्षा और नागरिक प्रतिरक्षा सुनिश्चित करने के तथा कुछ अपराधों पर मुकदमे चलाने के लिये विशेष उपायों तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर आगे खण्डवार विचार करेगी। **खण्ड १८**।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैंने अपने संशोधन संख्या १४८ और १४९ प्रस्तुत किय हैं। मैं विधेयक के खंड १८ में "दस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द रखना चाहता हूं। यह बड़े दुख की बात है कि सरकार द्वारा रखे गये संशोधन बदले जा रहे हैं। पहले उसने स्थानापन्न संशोधन संख्या १५४ रखा और बाद में स्थानापन्न संशोधन संख्या १५६ रखा है। पहले का संशोधन संख्या १५४ इतना खराब नहीं था। उसमें पुरानी शब्दावली कायम रखी गई थी लेकिन अब संशोधन संख्या १५६ से सारा रूप ही बदल गया है। उससे खंड १८ में सारा उपबन्ध ही बदला जा रहा है। श्री दातार ने सदन को यह नहीं बताया कि उसका क्षेत्र पूरी तरह से इस प्रकार क्यों बदल दिया जा रहा है। इसीलिए मैंने अपना संशोधन संख्या १४८ प्रस्तुत किया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरि विष्णु कामत]

श्री दातार के संशोधन में "पांच वर्ष या अधिक" कहा गया है जिसमें कोई तथ्य नहीं है। खंड १५ में "पांच वर्ष या अधिक" आवश्यक था। यहां यह बिल्कुल ही अनावश्यक है। मंत्री महोदय और सदन से मेरा आग्रह है कि वे मंत्री महोदय के संशोधन की निरर्थकता पर विचार करें। "या अधिक" शब्द बिल्कुल ही अनावश्यक है। इसलिए मेरा संशोधन अधिक सरल और स्पष्ट है और सभा से मेरी सिफारिश है कि वह उसे स्वीकार कर ले।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : हम इस बात का स्वागत करते हैं कि खंड १८ के अन्तर्गत रखी गई अपील का क्षेत्र और बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अब पांच वर्ष अथवा अधिक के दंड के सभी मामलों में अपील की व्यवस्था की जा रही है। संभव है कि उन सभी मामलों में जहां दंड पांच वर्ष से कम हो, इस आधार पर कि अपील को वास्तव में कोई जरूरत नहीं है, अपील की अनुमति न दी जाय। मुझे आशा थी कि माननीय विधि मंत्री और गृह-कार्य मंत्री अपील को अनुमति देने की आवश्यकता पर विचार करने क्योंकि ४ साल ८ महीने या ४ साल ९ महीने का दंड दे कर इन उपबन्धों का दुरुपयोग किया जा सकता है और उस दशा में न्यायाधिकरण द्वारा दंडित व्यक्ति अपील करने से वंचित रहेगा। इसलिए कम से कम प्रक्रिया के दुरुपयोग और न्यायाधिकरण के विपरीत दृष्टिकोण को दूर करने के लिए कुछ व्यवस्था अवश्य हो की जानी चाहिये। पांच वर्ष से कम दंड के सभी मामलों में किसी प्रकार कुछ न कुछ पुनर्विचार की गुंजायश बंद नहीं की जानी चाहिये। इसलिए, सरकार से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे सभी मामलों में पुनर्विचार को व्यवस्था करने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिये।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : मैं अपना संशोधन संख्या १८ प्रस्तुत करता हूं। मेरा संशोधन यह है कि पृष्ठ १९ में पंक्ति १९ से २७ निकाल दिया जाना चाहिये। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि पांच वर्ष का दंड देने के लिए विशष न्यायाधिकरण को अंतिम प्राधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिये। हम यह विधान संकटकाल में बना रहे है। संकटकाल में भी हमें लोकतंत्रात्मक व्यवस्था बनाये रखना है। इसलिये मेरा सुझाव है कि पंक्तियां १९ से २७ निकाल दी जांये और उपबन्ध को अधिक सरल बना दिया जाये जिससे अपील का अधिकार बना रहे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या १४९ का समर्थन करता हूं। यह संशोधन बहुत सरल है जैसा कि श्री कामत ने स्पष्ट किया है। उसमें कहा गया है कि पृष्ठ १९, पंक्ति १४ में "दस" की जगह "पांच" रखा जाय। आशा है कि यह संशोधन स्वीकार करने से अभियुक्त की वास्तविक कठिनाइयां काफी हद तक दूर हो जायेंगी।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं अपने मित्र श्री कामत को बताना चाहता हूं कि सरकार माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार करती है और इसीलिये चर्चा के बाद मैंने कई संशोधन रखे हैं। उसके बाद भी मैं माननीय सदस्यों के कई संशोधन भी स्वीकार करने के लिय तैयार हूं।

श्री कामत के संशोधन संख्या १४८ के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि उनके संशोधन से वह प्रयोजन पूरा नहीं होता जो वह चाहते हैं। हम यह चाहते हैं कि पांच वर्ष अथवा अधिक के हर मामले के लिय स्वाभाविक ही अपील होनी चाहिये। अब वह "अधिक" के स्थान पर "तक" रखना चाहते हैं। अगर आप "पांच साल तक" कहते हैं तो उसका मतलब एक साल या एक दिन भी हो सकता है और उसमें अपील हो सकेगी। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसमें हमें स्पष्ट सिद्धान्त

---

†मूल अंग्रेजी में

का पालन करना है। इसी लिए मैंने संशोधन संख्या १५६ प्रस्तुत किया है। पहले हमने सीमा १० वर्ष रखी थी, अब माननीय सदस्यों के सुझावों पर विचार करके हमने उसे पांच वर्ष कर दी है। हमने जानबूझ कर ही "पांच वर्ष अथवा अधिक" रखा है। यदि वह पांच वर्ष से कम हो तो स्वाभाविक ही कोई अपील नहीं हो सकती।

मेरे माननीय मित्र डा० सिंघवी यह जानना चाहते थ कि यदि विधि विषयक किसी प्रश्न का निर्णय करना हो तो क्या इस मामले में उच्चन्यायालय या उच्चतम न्यायालय को कहा जा सकता है। विधि मंत्री ने वाद-विवाद के उत्तर में स्पष्ट कर दिया है कि संविधान का अनुच्छेद १३६ अब भी लाग् है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८६, ८७ और ८८ मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

संशोधन संख्या १४८ सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ८ मतदान क लिये रखा गया।

सभा में मत विभाजन हुआ; पक्ष में ३७ और विपक्ष में ११८।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १४९ सभा में मतदान के लिए रखा गया।

सभा में मत विभाजन हुआ ; पक्ष में ४३, विपक्ष में ११३।

संशोधन अस्वीकृय हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं सरकारी संशोधन संख्या १५६ प्रस्तुत करूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि संशोधनों" की सूची ८ में, मेरे द्वारा प्रस्तावित तथा छपे हुए संशोधन संख्या १५४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

पृष्ठ १९, पंक्तियां १४ से १७ के स्थान पर,—

"(b) to imprisonment for a term of five years or more, under this Act or the rules made thereunder or under sub-section (4) of section 5 of the Indian Official Secrets Act, 1923, as amended by section 6 of this Act"

["(ख) इस अधिनियम या इस के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन या भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम, १९२३ के, जैसा कि इसे इस अधिनियम की धारा ६ द्वारा संशोधित किया गया, की धारा ५ की उपधारा ४ के अन्तर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिये कारावास या इससे अधिक"] (१५६)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १८, संशोधित रूप में, विधयक का अंग बन।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड १८, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १९ और २० विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २१ विधयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २१ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २२ और २३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड २४, (पुनःस्थापन) ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २२, पंक्ति ३८ और ३९ में—

"in his former employment otherwise than in a probationary or temporary capacity ["परिवीक्षाधीन या अस्थायी हैसियत को छोड़ कर अपनी पहली नौकरी में"] के स्थान पर "in an estaiblishment immediately before his employment in the National Service" ["राष्ट्रीय सेवा में उसके नौकर होने से ठीक पूर्व वाले प्रतिष्ठान में"] शब्द रख दिये जायें ।" (१२२)

†**श्री ह० चं० सोय** (सिंहभूम) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्लाज २४ पर अपना अमेन्डमेंट नम्बर ३८ मूव करता हूं :—

पृष्ठ २३, पंक्ति ७ के बाद, निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"परन्तु वह व्यक्ति जो अपने पहले मालिक के पास अस्थायी रूप में नौकरी कर रहा हो उसे मूल पद पर स्थायी रूप से पुनःस्थापित किया जायेगा ।" (३८)

इस अमेंडमेंट का उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति नेशनल सर्विस में चला जाय वह युद्ध के बाद जब वापिस लौट तो उसे अपनी पहले की नौकरी पर परमानेंट तौर पर लगाया जाय ।

जो प्राविज़न अभी है उस में सरकार की ओर से जो एक कमेंडमेंट मूव होने वाला है उससे पहले से तो कुछ इम्प्रूवमेंट अवश्य होगा मगर उस चीज़ में एक कमी रहती है और वह यह कि जिस आदमी को फिर से उसकी पहले की जगह पर लगाया जायगा उस के लिय इस में इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि उस को परमानेंट बसिस पर वह जगह मिलेगी और यह कि वह स्थायी होगा । अब सवाल तो यह है कि अगर वह व्यक्ति एक्टिव सर्विस में नहीं जाता तो वह अपनी जगह पर दो, तीन वर्ष के अन्दर परमानेंट हो जाता मगर चूंकि वह एक्टिव सर्विस पर चला जाता है तो इस की व्यवस्था रहनी चाहिये कि लौटने पर अपनी ओरीजनल पोस्ट पर परमानेंट बेसिस पर लगे । इसलिए मेरा यह अमेंडमेंट कहता है कि नेशनल सर्विस ख़त्म होने के बाद जब वह व्यक्ति लौट तो उसे अपनी पहले वाली पोस्ट पर परमानेंट बेसिस पर लिया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रविधिक कर्मचारियों के रोजगार के संबंध में यह बहुत महत्वपूर्ण उपबन्ध हैं। संक्षेप में मेरा सरकार से यह सुझाव और आग्रह है कि प्रविधिक कर्मचारियों को रोजगार देने के संबंध में उसे शीघ्रता करनी चाहिये। वास्तव में ऐसे अनेक प्रविधिक कर्मचारी हैं जिन्होंने वर्तमान संकटकाल में बिना किसी वेतन या पुरस्कार के देश के लिये अपनी सेवायें अर्पित करने का प्रस्ताव रखा है। ये बहुत कुशल और योग्य व्यक्ति हैं जिन्होंने दूसरे विश्वयुद्ध में काम किया है और जिन्हें कुछ अनुभव भी प्राप्त है और वे सरकार की मदद करना चाहते हैं ताकि वे देश के काम आ सकें। लेकिन मुझे बताया गया है कि उनके कागजात एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भेजे जा रहे हैं और सरकार ने उनके सबंध में कोई निश्चय नहीं किया है। मैं नहीं जानता कि वह अभी और कितनी देर लगायेगी। यह लालफीताशाही दूर की जानी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में जाग उठेगी और इस ओर ध्यान देगी कि इन प्रविधिक कर्मचारियों को शीघ्र ही कोई रोजगार दिया जाये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं इन उपबन्धों का स्वागत करता हूं लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि मैंने खुद ही उन मामलों की ओर ध्यान दिलाया है। मुझे खेद है कि ऐसे प्रविधिक योग्यता वाले और प्रसिद्ध व्यक्ति को जिसे आयोजन आदि का अनुभव भी प्राप्त है, कोई जवाब भी नहीं दिया गया है। देश में ऐसे अनेक लोग हैं जो सचमुच ही इस संकट के समय सरकार की सेवा करना चाहते हैं लेकिन उनकी सेवाओं से कोई लाभ नहीं उठाया जा रहा है। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से इस अवसर पर प्रार्थना करूंगा कि औद्योगिक कर्मचारियों को रोजगार दिलाने का काम केवल आई० ए० एस० अफसरों या दूसरे लोगों के बजाय, जिन्हें अभी इस बारे में सारी चीजें नय सिरे से सीखनी हैं, एसे लोगों को सौंपा जाय जिन्हें इस विषय में कुछ अनुभव प्राप्त है।

मैं इस बारे में भी चिन्तित हूं कि खंड २४ के इस परन्तुक को कार्यान्वित करते समय इस पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये कि जब कर्मचारी अपने पुराने मालिकों के पास वापस जाये तो राष्ट्रीय सेवा के दौरान उन्ह प्राप्त अतिरिक्त अनुभव और कुशलता को भी ध्यान में रखा जाय। इसी तरह जो प्रविविधक कर्मचारी हड़ताल के दौरान नौकरी से हटा दिये गये हैं उनको भी नौकरी में ले लिया जाये। आखिर उनको बर्खास्त सिर्फ इसीलिये किय गया था कि उन्होंने हड़ताल में हिस्सा लिया था, अन्यथा उन पर कोई आरोप नहीं हैं। वे इस समय राष्ट्र के हित के लिये सरकार की सेवा करने के लिये तत्पर हैं। इसलिये माननीय मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वे इस पर विचार करें कि अब वह समय आ गया है जबकि उन्हें माफ कर दिया जा सकता है और उन्हें राष्ट्र की सेवा करने का मौका दिया जा सकता है।

मेरे पास छ-सात नाम हैं जो मैं गृह-कार्य मंत्री को दूंगा। ये लोग बिना वेतन के भी आज काम करने के लिये तैयार हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे उन मामलों पर विचार करें और उन्हें रोजगार दें ताकि उन्हें भी देश की सेवा करने का मौका मिले।

†**श्री रंगा** (त्रिचूर) : मुझ बहुत प्रसन्नता है कि सरकार ने संशोधन संख्या १२२ प्रस्तुत किया है। इस संबंध में, मैं केवल यह चाहता हूं कि राष्ट्रीय सेवा न्यायाधिकरणों का निर्माण करते समय और पदाधिकारियों को नियुक्त करते समय सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिये कि जिन व्यक्तियों को मजदूरों के काम दिलाऊ दफ्तरों के प्रबन्ध का अनुभव हो, प्राथमिकता दी जाये क्योंकि वे मजदूरों के विचारों और तरीकों को भलीभांति समझते हैं। दूसरी ओर, युद्ध सेवा के दौरान प्राप्त उनके अनुभव को ध्यान में रखकर यदि उन्हें कोई रियायत दी जाती है तो उससे

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

न उन्हें कोई नुकसान होगा और न मालिकों को ही कोई नुकसान होगा। मुझे आशा है कि मेरे माननीय गृह-कार्य मंत्री केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय को और राज्यों के श्रम विभागों को निश्चित आदेश देंगे ताकि इस दिशा में कर्मचारियों के हितों का उचित संरक्षण किया जा सके।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : प्रविविधक कर्मचारियों के मामले में, यह अधिक अच्छा होता कि अखबारों में विज्ञापन निकालकर उन कर्मचारियों से कहा जाता कि वे अपनी सेवायें अर्पित कर। एक केन्द्रीय कार्यालय को ऐसे प्रविधिक कर्मचारियों की पूरी सूची रखनी चाहिये जो संकटकाल में अपनी सेवायें प्रस्तुत करने के लिये तैयार हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर उस रजिस्टर से नाम चुन लिये जायें और उन कर्मचारियों को बुला लिया जाये। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही करेंगे।

†**श्री दातार** : प्रविधिक कर्मचारियों का एक रजिस्टर बनाने की सामान्य आवश्यकता के बारे में मैंने श्री त्यागी और कुछ अन्य सदस्यों के महत्वपूर्ण सुझावों की ओर ध्यान दिया है। सरकार यथासंभव तीव्रता से इसकी ओर ध्यान देगी। इसी कारण इस प्रयोजन के लिये विधेयक में एक विशेष अध्याय जोड़ दिया गया है।

सभा के सामने जो दो संशोधन हैं उनके संबंध में मैंने खासकर संशोधन संख्या १२२ इस दृष्टिकोण से रखा है कि जो कर्मचारी अस्थायी हैं उन्हें कोई असुविधा न हो। मूल विधेयक में से तत्संबंधी शब्द इसलिय हटा दिये गये थे कि अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं का पूरा पूरा लाभ उठाने के बाद उनके हितों को कोई हानि न पहुंचे।

जहां तक माननीय सदस्य के कथन का संबंध है, वह अपने संशोधन के द्वारा यह चाहते हैं कि जो कर्मचारी अपने पहले के मालिक के पास अस्थायी रूप से काम करता रहा हो उसे अपने मूल पद पर स्थायी तौर से पुनःस्थापित किया जाये। यह बहुत ज्यादा है। अपने पहले पद पर पुनः स्थापन का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है। इसका यह मतलब नहीं होता कि केवल इस कारण की उसने बाद में चलकर किसी और रूप में सेवा की, इसलिये उसे स्वाभाविक ही स्थायी बनाया जाये। मैंने अब यह प्रस्ताव रखा है कि उसे अपने पहले के पद पर ही पुनः स्थापित किया जायेगा।

†**श्री त्यागी** : अपने पुराने कार्यालय में उसकी सेवा की अवधि उसकी पदवृद्धि के लिये अवश्य गिनी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ३८ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २२, पंक्ति ३८ और ३९ में—

"in his former employment otherwise than in a probationary, or temporary capacity" ["परिवीक्षाधीन या अस्थाई हैसियत को छोड़ कर अपनी पहली नौकरी में"] के स्थान पर "in an establishment immediately before his employment in the Na ional Service" ["राष्ट्रीय सेवा में उसके नौकर होने से ठीक पूर्व वाले प्रतिष्ठान में"] (१२२) शब्द रख दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २४, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २४ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २५ और २६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २५ और २६ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ २४, पंक्ति १८ में—

"by post" ("डाक द्वारा") के स्थान पर "by registered post" (रैजिस्ट्री डाक द्वारा) रख दिया जाये। (१२३)

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २८, पंक्ति १८ में :—

"by post" ("डाक द्वारा") के स्थान पर "by registered post" (रैजिस्ट्री डाक द्वारा") रख दिया जाये। (१२३)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २७ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २८ और २९ (नियम बनाने की शक्ति; अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण)

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मंत्री को यहां स्पष्ट करना चाहिये कि सम्पत्ति का अधिग्रहन किन परिस्थितियों में किया जायेगा। ये शक्तियां बहुत व्यापक हैं। उन्हें यह आश्वासन देना चाहिये कि अचल सम्पत्ति को हाथ नहीं लगाया जायेगा। मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि अधिग्रहण की हालत में कितना प्रतिकर दिया जायेगा और पुराने सूत्र का अनुसरण क्यों नहीं किया जा रहा।

†**श्री दातार** : उपखंड (१) से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २८ और २९ विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २८ और २९ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री वातार** : खंड ३० के संबंध में मेरे दो संशोधन हैं :

(संशोधन किया गया)

पृष्ठ २६, पंक्ति १२ के बाद निम्न जोड़ दिया जाये :—

"(iii) Such sum or sums, if any, as may be found necessary to compensate the person interested for damage caused to the property on entry after requsition or during the period of requsition, other than normal wear and tear."

["(३) साधारण टूट फूट को छोड़ कर अधिग्रहण की अवधि में या अधिग्रहण के पश्चात् प्रवश करने पर सम्पत्ति को होने वाली हानि के लिये सम्बद्ध व्यक्ति को प्रतिकर देना जैसे आवश्यक समझा जाये तो ऐसी राशि या राशियों"] (१२४)

[श्री वातार]

(संशोधन किया गया)

पृष्ठ २६, पंक्ति २७ से ३१ के स्थान पर निम्न रख दिया जाये :—

"*Explanation.* In this section and in Section 37, the expression "person interested" in relation to any property include all persons claiming or entitled to claim an interest in the compensation payable on account of the requisition or acquisition of that property under this Act."

["**व्याख्या** : इस धारा तथा धारा ३७ में शब्द किसी सम्पत्ति के संबंध में सम्बद्ध व्यक्ति में वे सब व्यक्ति शामिल हैं जो इस अधिनियम के अधीन उस सम्पत्ति के अधिग्रहण या अभिग्रहण के कारण मिलने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं या करने का हक रखते हैं"] (१२५)

[श्री वातार]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३०, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३०, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३१ विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड ३२

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : मैं अपना संशोधन संख्या ९ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री रंगा** : हम खंड ३२ के अन्तर्गत जिस किसी व्यक्ति को प्रधिकार नहीं देना चाहेंगे केवल एक गजेटेड पदाधिकारी को ही भेजना चाहिये।

†**श्री दातार** : हमने 'व्यक्ति' शब्द जानबूझ कर रखा है। ऐसी हालत पैदा हो सकती है कि सरकार को किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े। केवल आवश्यकता पड़ने पर ही किसी ऐसे व्यक्ति को जो पदाधिकारी नहीं हैं, अधिकृत किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३२ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३२ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ३३ और ३४ विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : मैं खंड ३५ में अपना संशोधन संख्या १० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं : —

पृष्ठ २७, पंक्ति २५ में 'सम्पत्ति दी जायेगी' के पश्चात् निम्न जोड़ दिया जाये :—

"and such possession shall, as far as practicable be given to the person who appears to the Govt. or as the case may be, the person authorised as aforesaid, to be entitled to the possession of the property at the time such order is made."

["और वह कब्जा जहां तक व्यवहारिक होगा उस व्यक्ति को दिया जायेगा जो सरकार को, यथास्थिति, उपरोक्त रुप में यह आदेश दिये जाने के समय सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिये हकदार होने के लिये अधिकृत व्यक्ति प्रतीत होगा"] (१२६)

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १० मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ २७, पंक्ति २५ में 'सम्पत्ति दी जायेगी' के पश्चात् निम्न जोड़ दिया जाये।"

"and such possession shall, as far as practicable be given to the person who appears to the Govt. or as the case may be, the person authorised as aforesaid, to be entitled to the possession of the property at the time such order is made."

["और वह कब्जा जहां तक व्यवहारिक होगा उस व्यक्ति को दिया जायेगा जो सरकार को यथास्थिति, उपरोक्त रुप में, यह आदेश दिये जाने के समय सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिये हकदार होने के लिये अधिकृत व्यक्ति प्रतीत होगा"] (१२६)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३५, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३५, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ३६ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड ३७ के बारे में कुछ संशोधन हैं ।

(संशोधन किये गये)

(१) पृष्ठ २८, पंक्ति ३६ में—

"the owner of the property acquired under rule sec. 36" (धारा ३६ के अधीन अधिग्रहीत किसी सम्पत्ति का मालिक) के स्थान पर "any person interested" (हित रखने वाला कोई व्यक्ति) रख दिया जाये (१२७)

(२) पृष्ठ २६ में—

पंक्ति ४ के पश्चात् निम्न जोड़ दिया जाये ।

"(3) The provisions of Section 31 and Section 32 shall apply in relation to the acquisition of any property or the determination of compensation for such acquisition as they apply in relation to the requisition of any property or the determination of compensation for such requisitioning."

["(३) धारा ३१ और ३२ के उपबन्ध किसी सम्पत्ति के अधिग्रहण या उस अधिग्रहण के लिये प्रतिकर निर्धारित करने के संबंध में लागू होंगे जैसे वे किसी सम्पत्ति के अधिग्रहण करने या उस अधिग्रहण के लिये प्रतिकर निर्धारित करने के संबंध में लागू होते हैं"] (१२८)

(३) पृष्ठ २९, पंक्ति ५ में—

(३) [३] के स्थान पर "(४)" [४] रख दिया जाये ।

(श्री दातार)

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३७ संशोधित रुप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३७, संशोधित रूप में विधेयक में, जोड़ दिया गया ।

खंड ३८ से ४० विधेयक नें जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड ४१ ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ ३०, पंक्ति ३५ में—

made under this Act." ["इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये"] शब्दों के स्थान पर "made by th: Central Govern nent un ler this Act" ["केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये"] शब्द रख दिये जायें । (१३०)

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इस कानून के अन्तर्गत बनाये जाने वाले नियम चालू सत्र में ही पारित किये जाने चाहियें । संसद को यह देखने का अधिकार होना चाहिये कि नियम ठीक तरह बनाये गये हैं ।

†**श्री त्यागी** : राज्य सरकारों द्वारा बनाये जाने वाले नियम सभा-पटल पर रखे जाने चाहियें क्योंकि उनको नियम बनाने की शक्ति केन्द्र द्वारा दी जा रही है। इस सत्र में वे नियम बनाना संभव नहीं होगा । उनके बन जाने पर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति को उन पर विचार करना चाहिये ।

†**श्री रंगा** : अगला सत्र चालू होने से पहले गृह मंत्री को अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की बैठक बुलाकर बनाये गये नियम उसके सामने रखने चाहियें । उसके बाद में नियम सभा पटल पर रखे जा सकते हैं । राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियम भी संसद के दोनों सदनों के सामने रखे जाने चाहियें ।

†**श्री दातार** : सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये सब नियम सभा पटल पर रखे जायेंगे । नियम बनाने में कुछ समय और लगेगा क्योंकि यह विधेयक दूसरी सभा द्वारा भी पारित किया जाना है और उसके बाद उसके बारे में राष्ट्रपति की मुहर लगेगी ।

जहां तक राज्य सरकारों द्वारा बनाये जाने वाले नियमों का सम्बन्ध है, यह उनके क्षेत्राधिकार की बात है और वे नियम विभिन्न राज्य विधान मंडलों के पटल पर रखने पड़ेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस समय राज्यों द्वारा केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम राज्यों के विधान मंडलों के पटल पर भी नहीं रखे जाते। इसलिये गृह मंत्री को उन्हें ऐसा करने का निदेश देना चाहिये और वहां के पटलों पर रखे जाने के बाद, उनकी प्रतियां यहां सूचनार्थ मंगाई जा सकती ह । अब मैं संशोधन संख्या १३० मतदान के लिये प्रस्तुत करुंगा :

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३०, पंक्ति ३५ में—

"made under this Act" [इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये]" शब्दों के स्थान पर "made by the Central Govt. under this Act." [केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये शब्द रख दिये जायें"] (१३०)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४१, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४१, संशोधधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४२ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री किशन पटनायक** : मैं अपना संशोधन संख्या ९८ प्रस्तुत करता हूं ।

प्रजातंत्र के सार का बलिदान नहीं किया जाना चाहिये और यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश को निलम्बित नहीं किया जायेगा । और पुनर्विचार तथा अपील के लिये उच्चतम न्यायालय का सहारा लिया जा सकेगा ।

†**श्री दातार** : चूंकि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद २१ और २२ के अतर्गत प्राप्त अधिकारों को स्थगित करने के लिये पहले ही अनुछेद ३५९(१) के अधीन आदेश दे दिये हैं, इसलिये रोकाश याचिका प्रस्तुत करने के अधिकार की व्यवस्था करना उसके सर्वथा प्रतिकूल होगा ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । जब राष्ट्रपति का कोई आदेश संसद के सामने रखा जाता है, तो क्या संसद उसमें परिवर्तन या संशोधन करने का सुझाव नहीं दे सकती ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : संसदीय प्रथाओं के हित में सरकार के लिये यह आवश्यक है कि सरकार संसद को बताये कि मंत्रि परिषद ने राष्ट्रपति को ऐसा आदेश देने के लिये क्यों परामर्श दिया है, ताकि संसद को उस पर चर्चा करने का पूरा अवसर मिल सके ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ९८ मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४३ और ४४ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४३ और ४४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड ४५

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या खंड ४५ पर कोई संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं अपने संशोधन संख्या १५०, १५१ और ४५ प्रस्तुत नहीं करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खंड ४५ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४५ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४६ (खंड ३ सशस्त्र सेनाओं की सुरक्षा के लिये जारी किये गये साधनों पर लागू नहीं होगा) ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३१, पंक्ति ४०,—

के **अन्त में** "or stores" ["या सामान"] शब्द जोड़ **दिये जायें** । (१५२)

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार करता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३१, पंक्ति ४०—

के अन्त में "or stores" ["या सामान"] शब्द जोड़ दिये जायें" । (१५२)

प्रस्ता स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

खंड ४६, संशोधित रुप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४६, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ४७ और ५८ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

नया खंड ४९ (कुछ अर्जनों का वैधकरण)

(संशोधन किया गया)

पृ० ३२,—

पंक्ति १६ के पश्चात् निम्न शब्द रख दिये जायें ।"

"Validation of certain requisitions.

49. All property, immovable or movable, purporting to have been requisitioned under the Defence of India Ordinance, 1962, on or after the 26th October, 1962 and before the coming into force of the relevant provisions of that Ordinance or the Defence of India Rules, 1962 made there under shall be deemed to have been validly requisitioned, as if that Ordinance and those rules had been in force on and from the 26th October, 1962 and accordingly the provisions of this Act and those rules shall apply to and in relation to such requisition." 4 of 1962.

["४९. समस्त सम्पत्ति, अचल अथवा चल, जो कि भारत की प्रतिरक्षा अध्यादेश के अधीन, २६ अक्तूबर, १९६२ के दिन या उसके पश्चात् तथा अध्यादेश

†मूल अंग्रेजी में

के संगत उपबन्धों अथवा भारत की प्रतिरक्षा नियम १९६२ के लागू होने के पूर्व अर्जित कर ली गयी सामग्री गयी थी उसे इस प्रकार वैध रूप से अर्जित हुआ समझा जायेगा मानों कि उक्त अध्यादेश और उक्त नियम २६ अक्तूबर, १९६२ को अथवा से लागू थे, तदनुसार उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबन्ध इस प्रकार के अर्जन पर लागू होंगे।"] (१३१)

[श्री दातार]

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

खंड ४९, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ४९, संशोधित रूप में, विधेयक जोड़ दिया गया

खंड १—(संक्षिप्त नाम, विस्तार, उपयोग, अवधि और बचत)

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं संशोधन संख्या ६६ प्रस्तुत करता हूं।

मेरा आशय यह है कि इस अधिनियम का नाम भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम के स्थान पर राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अधिनियम रखा जाये।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। मेरा विचार है यह शीर्षक जनता को पसन्द आयेगा अतः सरकार को इसे स्वीकार करना चाहिये।

†**श्री रंगा** : मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से इस शब्द से जनता में सहयोग की भावना और अधिक मात्रा में पैदा होगी।

†**श्री त्यागी** : मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि इस अधिनियम का नाम **राष्ट्रीय** प्रतिरक्षा अधिनियम रखा जाय। मेरे विचार से इससे जनता से और अधिक सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

†**श्री दातार** : मैं इस सुझाव को अवश्य स्वीकार करता किन्तु अध्यादेश में हमने 'भारत की प्रतिरक्षा शब्दों' का प्रयोग किया है। हम भारत की प्रतिरक्षा के लिये इच्छुक हैं। अतः मेरे विचार से यह संशोधन समय बाह्य है। अतः मैं इसे उचित समझते हुये भी स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

संशोधन संख्या ६६ सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

अधिनियमन सूत्र, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं प्रस्तावना को लेता हूं ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १ पंक्ति ५ में "expedient" ["उपयुक्त"] शब्द के स्थान पर "necessary ["आवश्यक"] रख दिया जाये । (१००)

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १ पंक्ति ५ में "expedient" ["उपयुक्त"] शब्द के स्थान पर "necessary" ["आवश्यक"] रख दिया जाये । (१००)

प्रस्ताव स्वीकृत आ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्तावना, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**श्री दातार** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : यह अच्छा होता यदि सरकार विरोधी पक्ष द्वारा रखे गये कुछ संशधनों को स्वीकार कर लेती । ऐसा न करने पर भी हम विधेयक का हृदय से समर्थन करते हैं ।

निसंदेह हमने विधेयक के कुछ उपबन्धों का जिनमें विशेष न्यायाधिकरणों की व्यवस्था, नजरबन्द द्वारा आरोपों का उत्तर दिया जाना इत्यादि है का संशोधन करने का प्रयत्न किया । कल मेरे मित्र श्री नम्बियार उनके संशोधन का प्रयत्न कर रहे थे आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है । निसन्देह हम यह चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के कारण बताये जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

विधि मंत्री ने यह कहा कि केवल मैंने ही इस विधेयक की अलोचना की है। बंगाल के समाचार पत्रों में इस आशय के समाचार प्रकाशित हुये हैं जैसे कि मैंने ही इस विधेयक का विरोध किया है। वस्तुतः हम इस आपात काल में सरकार की नीति का पूरी तरह समर्थन करते हैं। निसन्देह मैंने साम्यवादियों की गिरफ्तारी का विरोध किया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि विधेयक के उपबन्धों का कड़ाई के साथ प्रयोग किया जाये तथापि उनका न्या ्वित ढंग से भी प्रयोग किया जाना चाहिये ।

उन्होंने मेरे एक लेख का उल्लेख किया है जिसे मैंने बारह वर्ष पूर्व लिखा था। मेरे पास उसकी प्रति उपलब्ध नहीं है। संभव है मैंने उसमें लिखा हो कि चीन की क्रांति से भारत तथा अन्य देशों की जनता को बहुत आशा थी। तथापि एक दशक के पश्चात् रूढ़िवादिता से क्रांति का पत्तन आरम्भ हो गया।

मेरे विचार से यह बात सार्थक है कि भारत के साम्यवादी दल के सर्वसम्मति से चीन के आक्रमण की निन्दा की है। यही कारण है कि आज सारा देश चीन का सामना करने के लिये कटिवद्ध है। आज भी बहुत से लोग हमारी देशभक्ति पर सन्देह करते हैं। तथापि मैं आज भी सीता जी के वाक्य को दुहराता हूं जो उन्होंने पाताल प्रवेश के समय कहे थे। और संसार को दिखला दिया कि न्याय कहां है। तथापि यह चमत्कारों का जमाना नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपने देश के प्रति हमारी वफादारी और हमारा प्यार किसी से कम नहीं है।

†**श्री रंग** : श्री ही० ना० मुकर्जी ने देश प्रेम के संबंध में जो भावना व्यक्त की है मैं उसका समर्थन करता हूं। वस्तुतः यह विधेयक भी देश प्रेम से प्रभावित होकर ही रखा गया है। संविधान सभा ने राष्ट्रपति को ये शक्तियां ऐसे ही समय के लिये दी थीं कि समस्त बहुमूल्य अधिकारों को हमें कुछ अधिकारियों के हाथों में दे देना होगा। हमने केवल यही किया है कि स्थिति के देखते हुये अपने सारे अधिकार राष्ट्रपति को सौंप दिये हैं।

आशा है कि राज्यों और केन्द्र की सरकारें जिनको ये असाधारण अधिकार मिल रहे हैं समय की आवश्यकता के अनुसार काम करेंगी तथा दलगत तथा राजनैतिक गुटबन्दी से ऊपर उठकर इस विधान को उस भावना से लागू करेंगी जिस भावना से यह विधान बनाया जा रहा है।

मुझे विश्वास है कि इन अधिकारों का प्रयोग करते समय वे देश की जनता की स्वतंत्रता और उनकी जरूरतों के प्रति पूरा सम्मान प्रदर्शित करेंगी।

जब हम एक विदेशी सत्ता के अधीन थे तब भी हमने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज हम एक वस्तु की रक्षा का प्रयत्न कर रहे हैं जिसको प्राप्त करने के लिये हम सबने मिलकर संघर्ष किया था। यदि कोई व्यक्ति इस विधेयक के चंगुल में फंस जाये तो उन्हें यह समझना चाहिये कि मातृ भूमि की रक्षा के लिये वे सब कुछ सह रहे हैं।

मुझे उन लोगों से पूरी सहानुभूति है जिन्हें इस विधेयक के चंगुल में फंसना होगा। तथापि मेरा सुझाव है कि राष्ट्रपति को क्षमा दान का जो अधिकार है वह सुरक्षित रखा जाना चाहिये। देश के हितों को देखते हुये इस अधिकार का अधिकतम उपयोग किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : इतिहास की यह महान विडम्बना है कि आज उन्हीं लोगों को भारत की प्रतिरक्षा विधेयक पारित करने का सौभाग्य मिला है जो आज से लगभग २० वर्ष पहिले इस अधिनियम के शिकार हुये थे। हमने इस विधेयक के सभी उपबन्धों का सर्वसम्मति से समर्थन किया है।

मुझे आशा है कि इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् कार्यपालिका इस अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग बड़े विवेक संयम और सतर्कता से करेगी।

हमें देश की भीतरी और बाहरी दोनों शत्रुओं से देश की रक्षा करनी है। अनेक बड़े-बड़े पदों पर ऐसे बहुत से लोग पहिले से मौजूद हैं जो देश के शुभचिन्तक नहीं हैं और वे कोई भी निन्दनीय कार्य कर सकते हैं। सरकार को इन लोगों के बारे में सावधान रहना चाहिये। यदि देश के हित के लिये जरूरी हो तो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध भारत की प्रतिरक्षा नियमों के अधीन कार्रवाही की जानी चाहिये चाहे वह किसी दल का हो या किसी पद का हो।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि आपात-काल समाप्त होने के पश्चात् भारत एक अधिक शक्तिशाली लोकतंत्र के रूप में प्रगट होगा तथा विश्व के सामने यह सिद्ध कर देगा कि लोकतंत्र की तुलना में सर्वाधिकारवादी शासन की कोई गिनती नहीं है।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, जनतान्त्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाले किसी भी देश के लिये संविधान में मिले हुए मौलिक अधिकारों की बड़ी कीमत होती है। दरअस्ल जनतन्त्र की स्थापना के लिये जो लड़ाई लड़ी जाती है, उसका लक्ष्य मौलिक अधिकारों की प्राप्ति ही रहता है। इसलिये उन मौलिक अधिकारों का छिनना एक दुखद घटना हो सकती है।

हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था है कि राष्ट्रपति के द्वारा संकट-कालीन स्थिति की घोषणा करके मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, ताकि उस स्थिति का ज्यादा अच्छी तरह से मुकाबला किया जा सके। संविधान की उसी व्यवस्था के मातहत मौजूदा विधेयक अन्तिम निर्णय के लिये सदन के सामने प्रस्तुत है और थोड़े ही समय के बाद यह पास हो जाएगा। इस समय मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जब हम इन मौलिक अधिकारों का हनन करने जा रहे हैं और इतनी ज्यादा शक्ति और अख्तियार सरकार को देने जा रहे हैं, तो सरकार को भी अपने कर्तव्यों और उस को दिये जाने वाले अधिकारों के सम्बन्ध में सचेत रहना चाहिये।

इस कानून के प्रयोग के बारे में विरोधी दलों की ओर से कुछ शंकायें प्रकट की गई हैं। अच्छा होता कि उनके निवारण के लिये उन के संशोधनों को गृह मन्त्री महोदय स्वीकार कर लेते। इसका कारण यह है कि आज जबकि हमारे देश की आज़ादी के लिये इतना बड़ा संकट पैदा हो गया है, सारे देश और इस सदन ने उस संकट का मुकाबला करने के लिये सरकार का हाथ बंटाने और पूरा सहयोग देने का निर्णय किया है इस लिये इस बिल के अन्तर्गत दिये जा रहे अधिकारों के प्रयोग की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस स्थिति में यदि उन संशोधनों को मान लिया जाता, तो देश में ज्यादा मज़बूती होती और हमारी एकता को अधिक बल मिलता और इसके साथ ही इस बिल के प्रयोग के बारे में लोगों की शंकायें दूर हो जातीं।

फिर भी, जो अधिकार यह सदन सरकार को देने जा रहा है, सरकार उसके लायक है या नहीं, भविष्य ही इस बात का निर्णय देगा। ये अधिकार सरकार क्यों लेने जा रही है ? आज देश को चीनी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामसेवक यादव]

हमले के संकट का मुकाबला करना है और जो हजारों वर्ग मील भूमि चीनियों के हाथ में चली गई है, उस को वापस लेना है। यदि इन अधिकारों को लेने और उनके प्रयोग का परिणाम यह होता है कि सरकार इस देश की ज़मीन को चीन से वापस लेने और चीन को अपनी भूमि से खदेड़ देने में सफल होती है, तो हम समझेंगे कि ये अधिकार सार्थक रहे और सरकार इस योग्य है कि उसको ये अधिकार दिये जायें।

१५ अगस्त, १९४७ को जब हम स्वतन्त्र हुए, तो देश के दो टुकड़े हुए---हिन्दुस्तान और पाकिस्तान। उस समय हिन्दुस्तान की जो शक्ल थी और जितनी भूमि हमको अंग्रेज़ों से मिली थी, उसको हमने अखण्ड और स्वतन्त्र रखना है। उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये हसारे देश के साधन और सारे देश की शक्ति सरकार के हाथ में है और हम सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से भी हो सके, वह हमारी भूमि को चीनियों से वापस दिलाए। अगर इस उद्देश्य की प्राप्ति होती है, तो यह विधेयक सार्थक होता है और इसके द्वारा जो अधिकार सरकार को दिये जा रहे हैं, वे भी सार्थक होते हैं।

इस समय देश की जो परिस्थिति है, उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। जब युद्ध चल रहा था, उस समय देश की जो स्थिति थी और युद्ध विराम के बाद देश की जो स्थिति हो गई है, उनमें ज़बर्दस्त फर्क है। युद्ध-विराम से पहले ऐसा लगता था कि देश में एकता और बड़ा जोश है, लेकिन युद्ध-विराम के बाद सरकार ने जो रुख़ अख्तियार किया, उसने जो तरीका अपनाया, उससे देश में एक तरह की बेचैनी फैलती जा रही है। आज देश में फिर दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार की ओर से ७ नवम्बर, १९५९ और ८ सितम्बर, १९६२ की स्थिति की चर्चा की जाती है और इस बारे में चीन से वार्तालाप चलता है, पीकिंग को पत्र जाते हैं और उससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है---जबकि १९५९ और १९६२ की स्थितियों में मुश्किल से हजार, पांच सौ वर्ग मील का फ़र्क होगा---इस कारण देश में एक दुविधा का वातावरण पैदा हो गया है। आज जनता के मन में यह शंका पैदा हो गई है कि क्या सरकार चीन को अपनी भूमि से खदेड़ देने और अपनी भूमि को वापस लेने के लिये संघर्ष करना चाहती है या वह समझौता-वार्ता के द्वारा कुछ लेन-देन के लिये तैयार हो गई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चीन के विरुद्ध हम को जो कुछ भी असफलता मिली, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारे मन में, हमारी सरकार, अफ़सरों और पल्टन के मन में, दुविधा थी और आज फिर सरकार ने अपनी नीति से सारे देश में दुविधा पैदा कर दी है। मैं समझता हूं कि इस दुविधा के रहते देश ठीक तरह से आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकता है। मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके, इस दुविधा की स्थिति को समाप्त करके इस देश को एक निश्चित दिशा दी जाये, ताकि देश तथा दुनिया को पता चल जाये कि भारत सरकार की क्या नीयत है और वह क्या चाहती है।

जब हम आजाद हुए थे, तो उसी समय से संकट की घड़ी हमारे सामने उपस्थित हो गई थी। देश का बंटवारा हुआ और करोड़ों की आबादी का आदान-प्रदान हुआ। हम को देश में कल-कारखाने खड़े करने थे, खेती को सुधारना था और लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाना था। इसके लिय हमको गांधी जी के रास्ते पर, सादगी और मितव्ययिता के रास्ते पर, चल कर देश को मजबूत बनाना था। लेकिन हमने सवक नहीं लिया और १९४७ से लेकर अब तक हम सोते रहे और एक नकली किले में मौज और अलमस्ती की ज़िन्दगी गुज़ारते रहे। यह धक्का शायद हम को जगाने में सफल हो, लेकिन सरकार की ओर से जो कार्यवाही हो रही है; उससे एसा लगता है कि अब भी हम जाग नहीं रहे हैं। हम देखते हैं कि मौजूदा संकट का मुकाबला करने के लिये देश में मितव्ययिता और एकता का वातावरण पैदा करने की ओर जो कदम उठाने चाहिये थे, भारत सरकार ने उनको नहीं उठाया है। उदाहरण

के लिये आप राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के संगठन को लीजिये। आवश्यकता इस बात की थी कि उसमें देश के सब वर्गों के ऐसे लोगों को लिया जाता, जो कि चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिये देश को तैयार करते और उसको शक्तिशाली बनाने में सहायक होते। लेकिन हम देखते हैं कि उस परिषद् का संगठन ऐसे किया गया है, जैसे कि वह भारत सरकार का अपना परिवार का मामला हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम इसी नीति पर चलते रहेंगे, तो हम देश को ताकत नहीं दे सकेंगे। मैं कांग्रेस के सदस्यों से यह इस्तदुआ करूंगा और सरकार से यह इस्तद्आ करूंगा कि कम से कम अब भारत सरकार अपनी रूप-रेखा को बदले और प्रधान मन्त्री अपनी नीति में परिवर्तन करें। अगर प्रधान मन्त्री ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों को कहुंगा कि वे उनको बदल दें, क्योंकि देश सबसे बड़ा और महान् है और कोई भी व्यक्ति उससे महान् नहीं हो सकता है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : राजनीति में सबसे बहुमूल्य वस्तु स्वतन्त्रता है। उसके बनाये रखने के लिये हमने कई महान् त्याग किये हैं। आज हमने यह भार अपने गृह-मन्त्री को सौंप दिया है। हमें विश्वास है कि भारत सरकार इन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करेगी। मुझे प्रसन्नता है कि विरोधी दल ने भी सरकार को इतने बड़ अधिकार देकर, कांग्रेस दल पर बहुत अधिक नैतिक दायित्व डाल दिया है। आशा है इस विश्वास को तनिक भी धोखा नहीं होगा और आक्रमणकारियों को निकालने के निश्चित लक्ष्य की पूर्ति हो जायेगी।

इस विधेयक के अधीन दिये गये अधिकारों का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति वास्तव में विश्वास-घात करेगा। सरकार को इन अधिकारों का प्रयोग कम से कम और विवेक के साथ करना चाहिये।

श्री लहरी सिंह (रोहतक) जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान की तारीख में यह पहला मौका है कि पब्लिक और गवर्नमेंट एक हैं। आज मुल्क के सामने बहुत ज्यादा खतरा है और उस खतरे को देखते हुए मैं समझता हूं कि इस बिल को पास करना हमारे लिय बहुत जरूरी था। इसको पास किये बगैर हमारा काम चल ही नहीं सकता था।

लेकिन एक बात मैं गवर्नमेंट को वाज़ह कर देना चाहता हूं। जहां देहातों के अन्दर नौजवान बहुत भारी तादाद में फौज में भरती होने के लिये आ रहे हैं, जहां वे अपने आपको वालेंटीयर के तौर पर पेश कर रहे हैं, जहां देहात वाले काश्त बढ़ा रहे हैं, जहां वे पैदावार बढ़ा रहे हैं, वहां यह भी बदशा पाया जाता है कि कहीं कीमतें बढ़ न जायें, भाव बढ़ न जायें, ब्लैक-मार्केटिंग शुरू न हो जाए। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि जिस किसी भी आदमी पर आपको किसी किस्म का भी शुबहा हो कि कि वह इस तरह का काम कर रहा है, फिर चाहे वह किसी भी पार्टी का आदमी क्यों न हो, कांग्रेस का हो, जनसंघ का हो, कम्युनिस्ट पार्टी का हो, उसे आपको गिरफ्तार कर लेना चाहिय। अगर आप को यह शुबहा हो कि वह मुल्क के साथ गद्दारी कर रहा है, तो उसको आपको फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिये। इसमें स्वतन्त्र पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनसंघ पार्टी या और किसी पार्टी का लिहाज़ नहीं किया जाना चाहिये।

आज मुल्क की आजादी को खतरा है, आज हिन्दुस्तान की आज़ादी को खतरा है। आज हमें एक ऐसे दुश्मन से मुकाबला करना है जो कि बहुत जबर्दस्त है, बहुत ताकतवर है और उसके लिये जहां हमें अपने फ्रण्टियर्ज़ को मज़बूत करना है, वहां यह भी देखना है कि कहीं मुल्क के अन्दर कीमतें न बढ़ जायें, मुल्क में गड़बड़ी पैदा न हो जाए। साथ ही साथ जहां भी ब्लैक शीप हों, चाहे कांग्रेस में हों या किसी दूसरी पार्टी में हों, उन पर किसी तरह का भी रहम नहीं किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री लहरी सिंह]

मैं समझता हूं कि यह कहना कि हम इस बिल को पास करके बड़ी सैक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसा करके हम कोई सैक्रीफाइस कर रहे हैं। इसमें कोई सैक्रीफाइस की बात नहीं है। आज तमाम मुल्क सरकार की मदद करना चाहता है, जो आज लीडर हैं, उनकी मदद करना चाहता है और जो लक्ष्य हमने अपने सामने रखा है, उसको हासिल करना चाहता है। इस काम के लिये आज हर आदमी अपना धन-दौलत देना चाहता है। हर एक अपने नौजवान लड़के को देना चाहता है, हर एक चाहता है कि मुल्क के अन्दर अमन हो। इसलिये गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है कि जिस तरह की गलती गवर्नमेंट ने पहले की और कहा कि हम समझे नहीं, उस तरह से अब नहीं होना चाहिये। हम को समझ लेना चाहिये कि हम को बाद में पछताना न पड़े। जहां पर भी शुबहा हो, जहां पर वजूहात हों, वहां इस ऐक्ट का पूरी तरह से इस्तैमाल होना चाहिये। यह न हो कि जहां पर कोई अपना आदमी सम्बन्धी हो वहां इस को स्पेअरिंगली इस्तैमाल किया जाये। जिस पर भी शुबहा हो, चाहे बार्डर पर हो या कहीं और, किसी को भी जेल में कम्बल ओढ़ा कर बिठला देना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर कहीं पर ट्रेडर्स हैं जो कि १० या २० हजार रुपये लेकर, पार्टियों या मोहरें लेकर आप के सामने आयें, उनसे भी आपको खबरदार रहने की जरूरत है। असल बात यह है कि जहां पर भी प्राइसेज बढ़ेंगी मुल्क में बदअमनी हो जायेगी खास कर देहात में। कोई भी आदमी यह न कह सके कि इन कांग्रेस वालों को कोई चन्दा दे दो, उनको खुश कर लो फिर चाहे जो करो। यहां पर ऐसी हुकूमत होनी चाहिये जैसी कि अरंगजेब की थी जो कि सख्ती से काम करे फिर कोई भी जमात हो, कोई भी पार्टी हों, जो उसके सामने आये। अगर इस वक्त मौका आपने ढीला छोड़ दिया तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा।

बार्डर्स से शिकायतें आ रही हैं कि असम में कुछ आदमी गड़बड़ी कर रहे हैं, यू० पी० के बार्डर्स से शिकायतें आ रही है कि वहां भी लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं अर्ज़ करूंगा कि आखिर इस ऐक्ट को अमल में लाने का मौका कब आयेगा ? अब ज्यादा सोचने और समझने का वक्त नहीं है चाहे इस की पार्टी का ताल्लुक हो या उसकी पार्टी का ताल्लुक है। हमारे मुकर्जी साहब कुछ कहें, अगर मुल्क के लिये शुबहा हो किसी पार्टी के ऊपर तो चन्द दिनों के लिये वह लोग कम्बल ओढ़ कर बैठ जायें तो कोई हर्ज नहीं है। यह ज्यादा बेहतर होगा बजाय इसके कि हम बाद में अफसोस करें। हमारी पार्टी की तरफ से और वा देहात की तरफ से पूरी उम्मीद आप को रखनी चाहिये लेकिन साथ ही हमें उम्मीद है कि सरकार भी जरा सख्ती से काम लेगी और ढीले ढाले तरह से वह नहीं चलेगी।

†**श्रीमती यशोदा रेड्डी** (कुर्नूल) : मैं श्री त्यागी की इस बात का समर्थन करती हूं कि सरकार ने इन अधिकारों को अपने हाथों में लेकर बहुत बड़ा दायित्व अपने हाथों में लिया है। जब तक चीनी आक्रमणकारियों को भगा न दिया जाये तब तक सरकार को बिना किसी हिचक के इस विधेयक के अधीन दिये गये अधिकारों का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के साथ प्रभावी ढंग से करना चाहिये चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म या दल का हो परन्तु सरकार को इस मामले में यह ध्यान रखना चाहिये कि इन अधिकारों का प्रयोग विवेक के साथ किया जाये।

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ देर के बाद यह बिल ऐक्ट की शक्ल लेने जा रहा है। बहुत से महानुभाव इस पर बोल भी चुके ने। इसमें मूल बात यह है कि इस ऐक्ट के पास होने के बाद उस पर अमल करने की जिम्मेदारी किस पर कितनी है और गवर्नमेंट इस पर अमल

---

†मूल अंग्रेजी में

कितना करती है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है उसकी शासन व्यवस्था में जो लोग काम कर रहे हैं वे हमारे सामने हैं, लकिन उन पर जो जिम्मेदारी आकर पड़ी है, जिसके सम्बन्ध में यह डिफेंस आफ इण्डिया ऐक्ट बन रहा है, स्वतन्त्र भारत में वे उसको किस तरह से निभायेंगे यह तो भविष्य ही बतलायेगा। पुरानी अंग्रेज सरकार का भी अपना इतिहास है। उसकी शासन व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए थे, उनमें से बहुत से आज भी मौजूद हैं। किन्तु इन बदली हुई परिस्थितियों में वे अपना काम ठीक से कर सकेंगे ऐसी आशा उन से की जाती है।

इसके साथ ही इस लोकसभा के सदस्यों को भी यह देखना पड़ेगा कि उन के क्षेत्र में इस ऐक्ट पर किस तरह से अमल होता है। आज एक अजीब समस्या पैदा हो गई है कि हम कहते तो जरूर हैं कि चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कांग्रेसी हो या चाहे जनसंघ का हो, सरकार हर एक को पकड़ लें। लेकिन जब भी किसी का अपना आदमी पकड़ा जाता है तो सब उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। सब लोग सोचते हैं कि कहीं उसके आदमी पर हर्फ न आये। गांवों के अन्दर भी आज ऐसा होने लगा है कि लोग जाकर शिकायत कर देते हैं कि फलां आदमी ऐसा करता है, पुलिस उसको क्यों नहीं पकड़ती है। इसलिये यह समस्या बड़ी जटिल है। इस को देखने के लिये जरूरी हो जाता है कि जो हम में ऐसा सोचते हैं कि हम को खबरदार रहना है वह जाकर अन्दरूनी तौर से हर बात की जांच करें। उसके बाद चाहे प्यारे से प्यारा आदमी ही क्यों न हो, अगर उसमें थोड़ी सी भी कमजोरी हो तो उसे पूरी और सख्त से सख्त सजा देने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें।

इसके अमल के बारे में मुझे इतना ही कहना है। भविष्य में हम लोग अपने कर्त्तव्य का पालन करें तब हम इसको सफलतापूर्वक चला सकेंगे।

सदस्य की गिरफ्तारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे लोक सभा को यह सूचना देनी है कि मुझे नई दिल्ली में साउथ डिस्ट्रिक्ट के लिये पुलिस सुपरिन्टेंडेंट से यह सूचना मिली है कि मद्रास सरकार द्वारा जारी किये गये निरोध आदेश का पालन करते हुए लोकसभा के सदस्य श्री के० आनन्द नम्बियार को २९ नवम्बर, १९६२ को नई दिल्ली में उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें मद्रास भेज दिया जायेगा।

भारत का प्रतिरक्षा विधेयक—जारी

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू और काश्मीर) : मुझे इस बात से सन्तोष हुआ है कि सरकार ने इस अधिनियम को पारित करने के दौरान यथाशक्ति विरोधी सदस्यों के मतों को भी स्थान देने का प्रयत्न किया है।

कई सदस्यों ने इस बात पर सन्देह प्रकट किया है कि इस विधेयक के उपबन्धों का उचित रीति से पालन नहीं किया जायेगा उन्हें यह स्मरण रखना चाहिये कि अब हमारी अपनी सरकार है तथा हमें एक बाहरी शत्रु का मुकाबला करना है अतः इन बातों में सन्देह नहीं करना चाहिये।

नेफा तथा लद्दाख के सीमान्त क्षेत्रों में हमारे जवानों का किसी ने साथ नहीं दिया है, तो वह असैनिक प्रशासन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस विधेयक के उपबन्धों का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि कार्यपालिका जनता का समर्थन प्राप्त करे और उसे विश्वास में ले ।

श्री शिव नारायण (बांसी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत के इतिहास में यह पहला नमूना है कि भारत की सारी जनता आज इतनी एक दिखायी देती है । मैं त्यागी जी से कहना चाहता हूं कि चाहे वे जिम्मेदारी न लें, लेकिन आज देश का बच्चा बच्चा इस गवर्नमेंट के और नेहरू जी के पीछे है । मैं अपने चुनाव क्षेत्र से आ रहा हूं और मैं इतमीनान से कह सकता हूं कि हमारी कांस्टीट्यूएंसी में और हमारे जिले में और देश के कोने कोने से आवाजें आ रही हैं कि हम सब एक हैं और अपना तन, मन और धन सब कुछ देने को तैयार हैं अपनी मातृभूमि कीरक्षा के लिये । हमारे अफसरान भी ईमानदारी से काम कर रहे हैं । मुझे उन पर पूरा विश्वास है । वे अपनी जिम्मेदारी को समझ कर काम कर रहे हैं । आज हर कोई कह रहा है कि भारत हमारा है और हम अपनी मातृभूमि के लिये मर मिटने को तैयार हैं ।

इस समय इस प्रकार के बिल की अत्यन्त आवश्यकाता है देश के कल्याण के लिये । इस समय चाहे कोई कोई भी हो, चाहे वह भाई हो या भतीजा हो, अगर वह गलती करता है तो उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा देना चाहिये । १४ बरस तक हमने बहुत रियायत की । लेकिन अब रियायत नहीं होनी चाहिये । मेरी सरकार से प्रार्थना है कि आज उसको स्ट्रिक्ट होना चाहिये, शासन में रियायत नहीं होनी चाहिये । राजा और जोगी किसी का मित्र नहीं होता वह चाहे भाई हो या भतीजा हो । इसलिये मैं इस बिल का समर्थन करता हूं । हमारे संविधान ने ऐसी अवस्था में संविधान की रक्षा करने के लिये राष्ट्रपति को अधिकार दिया है और सरकार को इस प्रकार का बिल लाने का अधिकार दिया है । हिन्दुस्तान में और दुनिया में डिमाक्रेसी के सरवाइवल के लिये इस प्रकार के बिल की आवश्यकता है । आज नेफा में और लद्दाख में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उनको मैं ओपिन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि उनको रोकना हमारी ड्यूटी है । जो कुछ शराफ साहब ने कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि उन बातों पर सरकार देश की रक्षा के लिये ध्यान दे ।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जिन भावनाओं के साथ और जिन गम्भीर स्थितियों में स्वीकृत हो रहा है, उसको देखते हुए मैंने परसों कहा था कि सरकार भी इसका उसी गम्भीरता और पवित्रता से उपयोग करेगी इसका हमें विश्वास है ।

अभी हमारे माननीय मित्र श्री हीरेन मुखर्जी ने जो एक गम्भीर और भावपूर्ण भाषण दिया अपनी पार्टी की स्थिति के सम्बन्ध में, उसको सुनने के पश्चात् मैं माननीय गृह मन्त्री जी से एक आवश्यक निवेदन करना चाहता हूं । जब से उनकी गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई हैं, तब से उनकी भाषा और भावों में परिवर्तन आना प्रारम्भ हो गया है और उनके कथन के ढंग में भी कुछ परिवर्तन आया है । लेकिन साथ ही साथ जहां एक ओर उनकी पार्टी के सदस्यों की गिरफ्तारी की स्थिति हमारे सामने है, वहां दूसरी ओर यह स्थिति भी हमारे सामने है कि हमारे अनेकों भाई इस युद्ध में मारे गये और अनेक बहिनें युद्ध के कारण विधवा हुई हैं, अनेकों व्यक्ति अपने घरों से बेघर हो गए हैं और बहुत से घायल हो कर अस्पतालों में पड़े हुए हैं । उनकी स्थिति हमको कौन सा पग उठाने की विवश कर रही है ?

और उससे भी अधिक बड़ी बात यह है कि इस महान् देश के गौरव की हानि हुई है और उसके इतिहास में एक ऐसा अध्याय जुड़ा है जो पिछली अनेकों शताब्दियों से नहीं लगा था । इसलिये हमको इस स्थिति का सामना करने के लिये यदि कोई निर्णय लेना आवश्यक हो तो हमें उस निर्णय को लेना चाहिये और वैसा करने में हिचकिचाना नहीं चाहिये ।

दूसरी बात मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में किस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। उनकी ओर आपको ध्यान देना आवश्यक है। आपने दिल्ली के महत्वपूर्ण समाचारपत्रों में पढ़ा होगा कि दरबारहाल दिल्ली में नागरिक सुरक्षा की बैठक हो रही थी और उसमें कोई कम्युनिस्ट उपस्थित नहीं था। लेकिन उसका समाचार उस मीटिंग के कुछ ही देर बाद पीकिंग रेडियो से ब्राडकास्ट हुआ। इस पर कांग्रेस दल के एक प्रमुख नेता ने कहा कि हमको आश्चर्य है कि हमारे अन्दर कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इस समाचार को मीटिंग के पश्चात् बाहर दिया।

और भी एक आवश्यक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल परसों दिल्ली क्लाथ मिल के समीप एक बम विस्फोट हुआ था। उसके एक दम पश्चात् तीन व्यक्ति उस स्थान के पास पाए गए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इसका पता आप अपने इंटलीजेंस से लगाएं। उनमें एक संसद् सदस्या थीं, उनके पति थे और तीसरे व्यक्ति नगर निगम की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। ये तीन व्यक्ति उस घटना के ठीक बाद किस प्रकार वहां मौजूद थे ? इन तमाम स्थितियों के पीछे क्या वातावरण चल रहा है इसका सरकार को पता लगाना चाहिये। लोगों ने बताया कि ये व्यक्ति उस घटना के पांच सात मिनट बाद वहां पर मौजूद थे।

इससे भी एक और आवश्यक चीज मैं आपके सामने निबेदन करना चाहता हूं। यह इसी मिल के सम्बन्ध में है। इस मिल के कर्मचारियों ने यह तै किया था कि छट्टी में एक दिन एक्स्ट्रा काम करके अपना वेतन रक्षा कोष में देंगे, यह वेतन एक लाख १८ हजार रुपया होता था। उन्होंने वैसा किया, लेकिन उसके पश्चात् गंगा स्नान के दिन उसी मिल के देशभक्त कर्मचारियों ने फिर वैसा करना चाहा, लेकिन उस मिल के कर्मचारियों की यूनियन के प्रेसीडेंट ने इस बात का यत्न किया कि वे ऐसा न करें। उनका नाम मैं नहीं बतलाना चाहता, आप अपने इंटेलीजेंस से मालूम कर सकते हैं। उन्होंने कुछ लोगों से न आने को कहा और कुछ नहीं आए जिसका परिणाम यह हुआ कि वे लोग केवल ८७ हजार रुपया ही दुबारा दे पाए, पहिले के बराबर एक लाख १८ हजार नहीं दे पाए।

इससे भी एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं जो कि कल परसों मेरी जानकारी में आयी है। द्वितीय महायुद्ध के दौरान अंग्रेज लोगों ने अपना एक नारा लगाया था और वे जब आपस में मिलते थे तो दो उंगलियों को उठा कर आपस में अभिवादन करते थे जिसके अक्षर "वी" का आकार बन जाता था। उनका अर्थ होता था वी फार विक्टरी। अब जो चीन के राष्ट्रपति माओ से तुंग हैं उनका कहना है कि चीन एक हथेली के समान है और इसमें जब एशिया के कई राष्ट्रों की अंगुलियां लग जायेंगी तो यह पूरा पंजा बनेगा। इसी योजना के अनुसार अब हमारे कम्युनिस्ट हाथ जोड़ कर नमस्ते नहीं करते बल्कि एक हाथ की अंगुलियां फला कर पंजा दिखा कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। यह प्रवृत्ति आज देश में चल रही है। मैं समझता हूं कि आपके गुप्तचर विभाग को इन तमाम बातों पर ध्यान देना चाहिए।

रही किसी पार्टी के सदस्यों के की गिरफ्तारी की बात, तो उसके सम्बन्ध में मुखर्जी साहब अभी रामायण का उद्धरण दे रहे थे। अगर वह यहां होते तो मैं उनसे कहता कि नीति शास्त्र में लिखा है :

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्।
ग्रामं जनपदस्यार्थ, आत्मार्मे पृथिवीं त्यजेत्॥

अगर एक को छोड़ने से कुल की रक्षा होती हो तो उस एक को छोड़ देना चाहिये, और अगर कुल का नाश करने से ग्राम की रक्षा होती हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर

किसी पार्टी के कुछ सदस्यों पर प्रतिबन्ध लगाने से देश की रक्षा होती हो तो यह आवश्यक कदम हमें उठाना ही चाहिए ।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकारावाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहनी तो बहुत सी चीजें थीं पर समय कम है । अभी जो शास्त्री जी बोले उससे मैं सहमत हूं । मेरी १५ साल की उम्र से इन चीजों की जानकारी रही है, जबकि साइमन कमीशन आया था । मझे मालूम है कि तेलंगाना में कम्युनिस्टों ने क्या किया था । आप देखेंगे कि अब इनके बड़े बड़े लोग अण्डरग्राउण्ड चले जायेंगे और अपना काम करते रहेंगे । ये लोग बड़ी बड़ी स्पीचेज नहीं करते । ये लोग पहाड़ों में रहेंगे और वहां से गांव वालों के पास आकर अपनी बात कहेंगे । ये लोग गांवों के बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और उनको मिठाई आदि देते हैं और गांवों की औरतों से मिलते हैं और उनको अपने गीत सिखाते हैं और उनको कागज आदि देते हैं और कहते हैं कि इसको सन्दूक में रखना और अपने बच्चों को पढ़ाना ।

इतना ही नहीं करते बल्कि रातों को गांवों के उन गरीब लोगों के पास जाते हैं जो बाहर सोते हैं और उन से घुस घुस करते हैं । आज हर जगह में इस तरह के चोर बैठे हैं ।

अभी मेरे भाई मुकर्जी साहब ने अपना भाषण दिया । मुझे उनसे बड़ी श्रद्धा है । लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वे बदलते क्यों नहीं । क्यों नहीं वह ऐलान करते कि हम अब कम्युनिस्ट नहीं हैं और कम्युनिस्टों की मदद नहीं करेंगे । आज भी वह कम्युनिस्ट दल से बाहर क्यों नहीं आ जाते । जब मेरी उम्र १५ साल की थी तब देश में साइमन कमीशन आया था और उस दिन से आज तक की मैं हिन्दुस्तान की तमाम हिस्ट्री को जानती हूं कि क्या क्या वाकयात देश में इस बीच में गुजरे हैं । देश में जब नमक सत्याग्रह सम्बन्धी आन्दोलन चला तो उस जमाने में हमारे द्वारा खादी पहनने पर मनाही थी और जब हम समुद्र के किनारे नमक सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेते थे और तीन-तीन दिन समुद्र के पास हम लोग धरना देते थे तो हमको उस समय के अंग्रेज शासक पीटते थे । बगैर पानी के हम लोग रहते थे क्योंकि समुद्र के पास पीने को पानी कहां मिलता है ? इसलिये हम लोगों ने सब जमाना देखा हुआ है ।

आज देश पर चीनी आक्रमण के फलस्वरूप राष्ट्रीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और आज राष्ट्रीय एकता और भारतवासियों की देश के प्रति पूरी वफ़ादारी रहने की बहुत जरुरत है । आज हमारे देश की पूरे संसार में इज्जत है और हमारा फर्ज हो जाता है कि हम उसे बनाये रक्खें । आज हर एक भारतवासी का फर्ज हो जाता है कि वह अपने बारे में सोचने के बजाय देशहित के बारे में सोचे और उसके हेतु कार्य करे ।

मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों से कहना चाहूंगी कि वे भी समय की पुकार को पहचानें और अपनी राष्ट्र विरोधी हरकतों से बाज आयें । कम्युनिस्टों के बारे में मुझे मालूम है कि दिल में उनके ख़राबी होती है और बोलने में मिठास होती है और इस कारण भोले भाले देशवासियों को गलत रास्ते पर ले जाने में कभी कभी कामयाब हो जाते हैं । तेलंगाना के कम्युनिस्ट मूवमेंट में मैंने देखा कि यह लोग गांव गांव घूमते हैं, पहाड़ों में घुसेंगे और मैले कपड़े पहन कर हाथ में चना वगैरह लेकर बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं और गांवों में अपने छोटे-छोटे गानों द्वारा, बड़े बड़े गीत वे नहीं गाते, वह तो गांव की बोली में, जनपद की भाषा में छोटे छोटे गीत गा गाकर बच्चों, औरतों और बूढ़ों में कम्युनिज्म का प्रचार करते हैं और उनको बरगलाते हैं । यह कहावत मशहूर है कि घर का भेदी लंका ढाये । हमको जितना बाहर के शत्रुओं से डर नहीं है उतना इन घर के अन्दर छिपे हुये दुश्मनों से डर है । यह लोग सांप के

समान ख़तरनाक हैं और सांप को मारने के लिये लाठी उठाओ तो जैसे सांप पैरों के बीच से रेंग कर बच निकलता है ऐसे ही यह कम्युनिस्ट लोग बचते रहते हैं और ज़हरीला प्रचार करते रहते हैं। इनका पकड़ना और जेल में बन्द करना भी आसान काम नहीं है। लेकिन ऐडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में किसी तरह की गफ़लत नहीं करनी चाहिये और जहां भी यह लोग देश के हित के खिलाफ़ काम करें इन्हें सख्ती से दबाये और पकड़ कर जेल में बन्द कर दें।

मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि इन कम्युनिस्टों के बच्चे भी इस आर्ट में ट्रेन्ड होते हैं और दूसरे बच्चों में कम्युनिज्म का प्रचार करने का काम उनके बच्चे भी करते हैं। इसी तरह कम्युनिस्टों की बीवियां भी कम्युनिस्ट वर्कर्स होती हैं और वे गांव गांव में जाकर दूसरी लेडीज़ को कम्युनिज्म सिखाती हैं और उनमें लिटरेचर वगैरह बांटती हैं और उनको इस तरह से बहकाती हैं। कम्युनिस्टों की बीवियां स्ट्रीट सेलर आदि भिन्न भिन्न वेषों में गांवों में जाकर करती प्रचार करती हैं। इसलिये ज़रुरत इस बात की है कि प्रशासन किसी तरह की इस बारे में सुस्ती और ढ़िलाई न दिखाये और सख्ती से ऐसे देशद्रोही तत्वों का दमन करे और उन्हें कड़ी सजा दिलाये।

मैं श्री त्यागी के इस कथन से पूरी तरह सहमत हूं कि यह प्रतिरक्षा विधेयक सख्ती से अमल में लाया जाय और जो इसमें कहीं कहीं पर ढीलापन है उसे दूर कर इसे एक ताकतवर ऐक्ट बनाया जाय। राष्ट्र विरोधी हरकत करने वालों के प्रति जिम्मेदार अधिकारियों को किसी तरह की कोई रिआयत नहीं दिखलानी चाहिये। अगर किसी का बेटा कम्युनिस्ट हो तो उसके बाप को उसको सजा दिलाने में हिचकना नहीं चाहिये अगर वह देश के अहित का कार्य कर रहा हो। तेलंगाना में मैं जानती हूं कि बाप यदि कांग्रेस में है तो उसका बेटा कम्युनिस्ट है, लड़की कम्युनिस्ट है तो ससुर कांग्रेस में है। मेरा कहना है कि कर्त्तव्य पालन की राह में रिश्ते वगैरह का बिल्कुल मोह नहीं करना चाहिये। ऐडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में जरा भी सुस्ती से काम न लेकर पूरी तरह देखभाल करनी चाहिये और जो लोग चाहें वे कोई भी हों इस तरह का ज़हरीला प्रचार करते और आपत्तिजनक पर्चे वगैरह बांटते पकड़े जायं उनको सख्त से सख्त सजा दे। सरकार को इस बात की विशेष तौर पर सावधानी रखनी होगी कि गांव के भोले निवासियों पर इन लोगों के ज़हरीले और गलत प्रचार का असर न पड़ने पाये और यह उन में वर्क न करने पायें।

चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है इसलिये और अधिक न कहते हुए मैं इस डिफेंस आफ इंडिया बिल का समर्थन करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने के लिये कुछ समय दिया।

†**श्री दातार :** मैं इस सभा के सभी सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने इस विधेयक को कानून बनाने के लिय बड़ी एकता की भावना दिखाई है। मुझे पता है कि एक ओर तो इस विधेयक के उपबन्ध संकट की घोषणा द्वारा लगायी गई शर्तों को ध्यान में रखते हुए कड़े होंगे और दूसरी ओर, कई माननीय सदस्यों की इच्छा है कि देश की रक्षा और अच्छी सरकार को देखते हुए इसमें ढील दी जाये। इसीलिये सरकार ने यह उचित समझा कि इस मामले पर इस सदन के और दूसरे सदन के सदस्यों से अनौपचारिक रूप से बातचीत करली जाये। इसी लिये हमने कई संशोधन रखे हैं जो इस सभा ने पहले स्वीकार कर लिये हैं।

मेरे माननीय मित्र ने ठीक सुझाव दिया है कि यह राष्ट्र के इतिहास में पहला मौका है। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद, दुर्भाग्य की बात है कि १५ वर्षों के भीतर ही हमें देश की सुरक्षा के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

काम करना है। जहां तक देश की सुरक्षा का सम्बन्ध है, उस पर प्रतिरक्षा मंत्रालय पूरे और क्रियात्मक ढंग से कार्य कर रहा है। उस के साथ साथ असैनिक प्रशासन को भी तेजी से कार्य करना है और इसीलिये हमने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इस विधेयक में कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जो प्रतिरोधक हैं और कुछ निवारणात्मक हैं। इस विधेयक में ऐसे भी उपबन्ध हैं जिनमें सरकार द्वारा देश की प्रतिरक्षा के लिये और युद्ध प्रयत्नों में तेजी लाने के लिये निर्माण कार्य की आवश्यकता है ।

मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि इस विधेयक के अधिनियम बन जाने पर केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें यह देखेंगी कि इसके उपबन्ध उचित ढंग से और क्रियात्मक ढंग से लागू किये जायें। सरकार को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी होगी। देश की आवश्यकता और संकट की जरूरतों को देखते हुए सरकार सभी स्तर पर सभी अधिकारों का यथा संभव उपयोग करेगी ।

हमने अपने जीवन काल में दो युद्ध देखे हैं परन्तु उन दिनों हम विदेशी शासनाधीन थे। इस समय देश की स्वतन्त्रता का प्रश्न है। जो पदाधिकारी और प्रशासन इन कानून के उपबन्धों को लागू करेंगे वे पहले देशभक्त हैं, पीछे कुछ और; वे सक्षम व्यक्ति हैं और वे यह देखेंगे कि जहां आवश्यक हो, इस कानून के उपबन्ध यथा-संभव कड़ाई से लागू किये जायेंगे। यह आश्वासन मैं दे सकता हूं ।

सरकार ने यह देखने के लिये कई अधिकार प्राप्त कर लिये हैं कि विभिन्न स्तर पर पदाधिकारी अपना काम कुशलता से और यथासंभव कड़ाई से करें। यह केवल सरकारी व्यवस्था नहीं है परन्तु जनता की सामान्य इच्छा और जनता के सभी वर्गों से पूरा सहयोग है कि शत्रु को बाहर खदेड़ना और देश का नैतिक स्तर बनाये रखने के लिये खोये हुए भाग को वापस जीतना अति आवश्यक है। संकट की घोषणा के बाद इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी है और इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के लिये सरकार को कई कदम उठाने पड़ेंगे जो संकट काल का सामना करने के लिये आवश्यक हैं ।

माननीय सदस्य ने सीता का उदाहरण दिया। मैं भी यही कह रहा हूं कि वे सब भारत माता के प्रति उसी प्रकार वफादार हैं जिस प्रकार सीता अपने पति के प्रति वफादार थी। हममें से प्रत्येक को निष्ठा दिखानी है। दुश्मन के विरुद्ध हम सब एक हैं। अतः हम सब यथा संभव दृढ़ तरीके से कार्य करें ।

सरकार किसी तोड़ फोड़ की कार्यवाही को, किसी राष्ट्र विरोधी कार्यवाही को और किसी सन्दिग्ध कार्यवाही को सहन नहीं करेगी और अधिनियम के अन्तर्गत पूरे उपाय करेगी। यह एक बहुत बड़ी बात है जहां सरकार और जनता एक है और मैं इस सभा के सभी सदस्यों के प्रति उस एकता के लिये, जिससे वह इस विधेयक को कानून बनाना चाहते हैं, आभार प्रकट करता हूं। सरकार की ओर से मैं आश्वासन देता हूं कि इस विधेयक के उपबन्ध सख्ती से लागू किये जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सहयोजित बैंक (विविध उपबन्ध) विधेयक

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५, भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, १९५९ और बैंकरों की पुस्तकें साक्ष्य अधिनियम, १८९१ में आगे संशोधन करने और कुछ छोटे-मोटे राज्य-सहयोजित बैंकों को बन्द करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

यह विधेयक, वास्तविक अनुभव के आधार पर आवश्यक अथवा वांछनीय समझे जाने वाले कुछ संशोधन, राज्य-सहयोजित बैंक सम्बन्धी कानून में, करने के लिये उपस्थापित किया गया है

सदन को स्मरण होगा कि राज्यों के एकीकरण के फलस्वरूप केन्द्रीय और राज्य सरकारों का कई वाणिज्यिक बैंकों से सम्बन्ध हुआ। जब वर्ष १९५४ में अखिल भारत ऋण सर्वेक्षण समिति ने अपना प्रतिवेदन तब दिया, तब बैंक आफ बड़ौदा (जिसके साथ तब बम्बई सरकार का सम्बन्ध नहीं था) को छोड़ कर ऐसे बीच के दर्जे के ९ बैंक थे और २६ छोटी संख्यायें थी जिनमें जमा रकम कुछ लाख से ले कर एक या दो करोड़ रुपये तक थी। बैंक आफ राजस्थान को छोड़ कर, जिसने गैर-सरकारी क्षेत्र में अपना पृथक अस्तित्व रखने का फैसला किया, मध्यम श्रेणी की संस्थाओं को भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में अक्तूबर, १९५९ और मई, १९६० क बीच भारत के राज्य बैंक में स्वायत्त सहायक बैंकों के रूप में पुनर्गठित किया गया। २६ छोटे राज्य-सहयोजित बैंकों में से दो को पृथक् कार्य करने की अनुमति दी गई, तेरह ने बैंकिंग व्यवसाय करना बन्द कर दिया अथवा बैंकिंग समवाय अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस लेने से इन्कर कर दिया और ९ भारत के राज्य बैंक अथवा इसके सहायक बैंकों में मिल गये हैं अथवा मिल जायेंगे। इस प्रकार २६ में से २४ के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है और इस समय दो छोटे बैंकों के बारे में, जो कुछ समय से ठीक प्रकार नहीं चल रहे हैं, कार्यवाही की जानी है।

यह विधेयक अक्तूबर, १९५९ और मई, १९६० के बीच स्वायत सहाय बैंक बनाये गये मध्यम श्रेणी के बैंकों के बारे में, यथोचित, विलीनीकरण की व्यवस्था करने और दो छोटे राज्य-सहयोजित बैंकों का, जिनके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया जा सका है, समापन करने के लिये प्रस्तुत किया गया है।

संसद् द्वारा भारत का राज्य-बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, १९५९ बनाये जाने के समय भी यह समझा गय था कि भविष्य में यह आवश्यक हो सकता है कि एक सहायक बैंक अन्य सहायक बैंक की आस्तियों और दायित्वों को ले ले। इस अधिनियम की धारा ३८ में इस प्रकार के हस्तान्तरण का अधिकार देने की एक योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किये जाने की व्यवस्था है। वर्ष १९५९ में यह प्रत्याशा नहीं की गई थी कि ऐसे हस्तांतरण के बाद यह मांग हो सकती है कि किसी हस्तान्तरी बैंक का नाम बदल दिया जाये।

अब हम एक योजना पर विचार कर रहे हैं जिसमें नाम बदलने की व्यवस्था है। जैसा कि शायद राजस्थान के माननीय सदस्यों को पता होगा, कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर और स्टेट बैंक आफ जयपुर हाल ही में इस बात पर सहमत हो गये हैं कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर स्टेट बैंक आफ

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

जयपुर की समस्त आस्थियों और दायित्वों को संभाल लें और संविलित संस्थाओं का बदल कर ऐसा कर दिया जाये कि ताकि उसमें बीकानेर और जयपुर दोनों नाम रहें । उस क्षेत्र के सभी सदस्यों और जनता की यह मांग है। भारत के राज्य बैंक के इन दो सहायक बैंकों के संविलयन से सरकारी क्षेत्र में एक मजबूत और सुगठित संस्था बनेगी, जो समूचे राजस्थान क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करेगी और इसलिये सरकार ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। संविलित होने वाले बैंकों के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार देने के लिये भारत का राज्य-बैंक (सहायक बैंक)अधिनियमन की धारा ३ के उपबन्धों में अनुपूरक व्यवस्था करने की अनुमति के लिये सदन में यह विधेयक पेश किया गया है ।

इस विधेयक में दो छोट राज्य-सहयोजित बैंकों, अर्थात् स्टेट बैंक आफ धोलपुर और स्टेट बैंक आफ कुरुंदवाद (जूनियर), के बारे में उपबन्ध करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी है कि इन बैंकों के बारे में भूतपूर्व भारतीय शासकों द्वारा जारी किये गये सम्बन्धित कानून अधूरे और असंतोषजनक हैं। अब जो उपबन्ध किये गये हैं वे स्वतः स्पष्ट हैं। इरादा यह है कि स्थापनाधीन बैंकिंग समवायों पर लागू प्रक्रिया के अनुसरण में यथासंभव इन बैंकों के कार्य को समाप्त करने का अधिकार दिया जाये। समापन कार्य पूरा होने के बाद , जो बाकी आस्तियां बचेंगी, उन्हें धोलपुर बैंक के मामले में मूलतः अपेक्षित कार्य के लिये इस्तेमाल किया जायेगा और कुरुंदवाद बैंक के मामले में यह इसके अंशधारियों को दिया जायेगा ।

मैं विधेयक के अन्य खण्डों पर इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता कि खंड २ में मतदान अथवा विचाराधीन बातों में अभिरुचित सरकारी क्षेत्र के समवायों के निदेशकों द्वारा बोर्ड की बैठकों में वर्ष १९६० में संशोधित समवाय अधिनियम, १९५६ के अनुसार भाग लेने के लिये व्यवस्था है और खंड ४ बैंकर्स पुस्तक साक्ष्य अधिनियम में व्याख्या को नवीनतम बनाना है। ये संशोधन न्यूनाधिक औपचारिक किस्म के हैं ।

इस समय मैं यह कम महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत नहीं करता परन्तु स्टेट बैंक आफ बीकानेर और स्टेट बैंक आफ जयपुर ने बताया है कि वे १ जनवरी, १९६३ से मिलना चाहते हैं । अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाये ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

इस विधेयक पर विचार करने और इस को पारित करने के लिए एक घंटे का समय आवंटित किया गया है। अतः माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें ।

†**श्री काशी राम गुप्त** (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल धोलपुर बैंक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह बैंक बड़ी महारानी साहिबा मेमोरियल के लिये बनाया गया था । मैं नहीं समझ सकता कि पूर्व में इस बारे में क्या बीती क्योंकि इस बारे में कोई पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस समय भी कुछ कमियां रह गई हैं। विधेयक में यह व्यवस्था है कि वसूली राज्य राजस्व के रूप में सामान्य तरीके से की जायेगी। यदि हां, तो वसूली क्यों नहीं की गई है, यह स्पष्ट नहीं है। राजस्थान सरकार ने इसको रुपया ऋण क्यों दिया। यह स्पष्ट नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक मूल अधिनियम में वसूली के तरीके का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि हम पृथक् वसूली के लिये तब तक नियम नहीं बना सकते जब तक कि उसका निरसन न किया जाय। अतः मैंने अपने संशोधन में कहा है :

> "स्टेट बैंक आफ़ धोलपुर अधिनियम, १९१५ में बैंक की बकाया की वसूली के तरीके और नियम १९५३ में बतायी गई बातों को, उपयोक्त (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) को क्रियान्वित करने के लिये, अप्रभावशाली घोषित किया जाता है।"

जब तक यह उपबन्ध नहीं हो, कानूनी कमी बनी रहेगी।

यह बैंक एक विशिष्ट कार्य के लिये बनाया गया था। वह पूंजी अब घट गई है या बढ़ गई है, जिसका सरकार को पता हो सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसे पिछले १५ वर्षों से इस स्थिति में क्यों रहने दिया गया। धोलपुर राज्य पहले मत्स्य संघ में मिलाया गया और फिर राजस्थान बना। यह कार्य तब क्यों नहीं किया गया। न ही इस को वर्ष १९५९ में सहायक बैंक अधिनियम के समय किया गया। अतः मैं चाहता हूं कि सारी स्थिति को स्पष्ट कर पूरी जानकारी दी जाये। जो कुछ रकम है वह इस विशिष्ट कार्य में खर्च की जाये।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं। अब जब कि सरकार राज्य-सहयोजित बैंकों के समूचे कार्यकरण पर पुनर्विचार कर रही है तो उन्होंने इन राज्य-सहयोजित बैंगों को भारत के राज्य बैंक में मिलाने के बारे में क्यों नहीं सोचा। ये राज्य-सहयोजित बैंक उसी प्रकार काम करते हैं जिस प्रकार कि भारत का राज्य बैंक। इन दो बैंकों को मिलाने का क्या कारण है। ये दो राज्य-सहयोजित बैंक हैं और राज्य बैंक और भारत सरकार के नियंत्रणाधीन हैं। अतः जब तक इन दोनों में से कोई सा बैंक ठीक काम न कर रहा हो तो उनके मिलाने के क्या कारण हैं। विलीनीकरण से पूर्व बैंक आफ जयपुर की कई शाखाएं बन्द कर दी गई थीं अतः उसमें कुछ खराबी अवश्य होगी। मुझे विश्वास है कि बैंक आफ बीकानेर के साथ मिलने से यह ठीक काम करेगा। मुझे यह भी आशा है कि इस विलय के फलस्वरूप कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जायेगी। इसी आशा से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी पीठासीन हुए]

जहां तक स्टेट बैंक आफ धोलपुर और स्टेट बैंक आफ कुरुंदवाद के कार्य को समाप्त करने का सम्बन्ध है, मैं नहीं जानता इन को तब क्यों नहीं संभाला गया जब सहायक बैंक बनाये गये थे। आज हम इन बैंकों को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। क्या इस बात का कोई प्रयत्न किया गया कि इनको समाप्त करने के बजाय किसी सहायक बैंक में मिला दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** (जम्मू तथा काश्मीर) : सिद्धान्त रूप से मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि कमजोर बैंकों को बड़े बैंकों में मिला दिया जाये ताकि वे देश की और व्यापारिक वर्ग की अधिक सेवा कर सकें।

मैं यह जानना चाहता हूं कि बैंक आफ बीकानेर की प्रदत्त पूंजी कितनी है? इसकी अभिदत्त पूंजी कितनी है? इस समय इसकी आस्तियां और दायित्व क्या हैं। सारा देश पूर्ण, कार्यकारी और सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था चाहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्याम लाल सर्राफ]

इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि स्टेट बैंक आफ बीकानेर इस स्थिति में हैं कि वह सारे क्षेत्र की आवश्यकता पूरी कर सकता है, तो इसका स्वागत करता हूं।

म जानता हूं कि पहले राज्यों में छोटे छोटे बैंक बनाये जाते थे जो विशेषत: उसी राज्य की आवश्यकता पूरी करते थे। उन राज्यों के लोग यही चाहेंगे कि उनके बैंक सुदृढ़ हों और उन्हें सहायता दी जाये ताकि वे अधिक से अधिक देश की सेवा कर सकें। मंत्री महोदय कृपया यह बतायें कि बैंक आफ बीकानेर की सामान्य वित्तीय स्थिति कैसी है।

जहां तक धोलपुर बैंक और कुरुंदवाद बैंक का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहूंगा कि देश में अल्पकालीन वृद्धि को रोका जाये और किसी भी बैंक को इस प्रकार रहने की अनुमति न दी जाये।

देश को और देश की जनता को सहायता करने की बजाय इन बैंकों ने, अर्थात् अल्पकालीन बैंकों ने लोगों में विश्वास कम कर दिया है। इस का एक उदाहरण केरल में बैंक का है जो हाल में बन्द हुआ है। हमारी सरकार और बैंकिंग नीति की ओर ध्यान देने वाले यह देखें कि खातेदारों के हितों की रक्षा हो और लोगों को, विशेषत: उन क्षेत्रों में, जनता को जहां ये बैंक हैं, विनियोजन सुविधायें मिलें।

†**श्री ब० रा० भगत** : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि जो भी तीन सदस्य इस विधेयक पर बोले हैं, उन्होंने इस का समर्थन किया है। यह तो स्वाभाविक है कि कुछ माननीय सदस्य इस पर प्रश्न पूछेंगे। पहले वक्ता ने पूछा कि धोलपुर बैंक को १५ वर्षों तक चलते रहने की इजाजत क्यों दी गई। पन्द्रह वर्षों की अवधि इस मामले में संभव नहीं है क्यों कि एकीकरण कई वर्ष पहले हुआ था। ठीक बात तो यह है कि बैंक बिलकुल काम नहीं कर रहा और निदेशकों को दी गई अग्रिम राशि अमानत पर दी गई थी। इसके नियम और उद्देश्य भी इतने गलत ढंग से बने हुए थे कि इसको पुन: चलाना ठीक नहीं समझा गया।

जहां तक वसूली का प्रश्न है, उन्होंने पूछा है कि हम वसूली के तरीके में परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो सब बातें खतम हो जायें। खंड ५ में यह लिखा है "किसी अन्य नियम अथवा आदेश अथवा कागज में लिखित बातों के विरुद्ध रहते हुए भी इसके बने रहने का एक कारण यह भी था कि महाराजा का चार्टर अथवा कानूनी कागज गलत था। इसमें कहा गया था कि वसूली इस प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार कि भू-राजस्व की बकाया और अन्य। इस पर पहले राजस्थान सरकार के कानून विभाग ने विचार किया और फिर उसकी यहां जांच की गई कि यह वसूली का तरीका है या अवधि है फिर इस पर न्यायिक ढंग से बात की गयी। अत: इसमें बहुत समय लग गया क्यों कि इसमें एक कानूनी पक्ष था कि कुछ आज हम कर रहे हैं वह वैध है या नहीं। आपने कानूनी परामर्शदाताओं की सलाह पर हमने इसे अवधि माना"।

कुछ राज्यों में, विशेषत: छोटे राज्यों में, बैंकिंग का तरीका भिन्न था। इस विधेयक के बारे में पहली कठिनाई तो यह थी कि यह बैंकिंग समवाय है या नहीं क्यों कि इस के उद्देश्य में इस को धर्मार्थ कार्यों के लिये बताया गया था। चार्टर अथवा डाकुमेन्ट इस प्रकार का है कि उसे वर्तमान बैंकिंग तरीका नहीं कहा जा सकता है। विचार यह है कि धोलपुर राज्य बैंक में जो रकम बचेगी उसे इसके उदेश्यों पर लगाया जायेगा और बैंक आफ कुरुंदवाद की बाकी रकम अंशधारियों को दी जायेगी। सामान्य प्रक्रिया यह है।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य ने आगे कहा कि अन्य सहकारी बैंकों को भी क्यों न मिला दिया जाये। उन्हें इसका पता है कि बीकानेर और जयपुर के बीच इतना अन्तर नहीं है जितना मैसूर और सौराष्ट्र में। ये दो बैंक, जयपुर और बीकानेर, एक ही क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। बीकानेर बैंक बहुत सुदृढ़ स्थिति में है। जयपुर बैंक कुछ कमजोर है। अतः दोनों को मिला कर, हम इस क्षेत्र में केवल बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ ही नहीं करेंगे परन्तु यह सभी दृष्टिकोण से अच्छा है। इसी प्रकार मैसूर और सौराष्ट्र बैंक को मिलाने का मामला सभी दृष्टिकोण से जंचता नहीं है। प्रत्येक बैंक ने अपने तरीके और मुवक्किल बना लिये हैं। यह प्रोत्साहन जनक है कि वे अपने मुवक्किलों, अपने कार्य के तरीकों को बनाये रखना चाहते हैं। इन बातों की मान्यता में हम उनका पृथक अस्तित्व बनाये रखे हुए हैं। इसी कारण उनको अन्य बैंकों में या जय और बीकानेर की तरह नहीं मिलाया गया है। इस विलीनीकरण का दोनों बैंकों, कर्मचारियों, प्रबधकों और प्रदेश की जनता ने स्वागत किया हैं। यदि अन्य मामलों में भी ऐसी स्थिति हो जाये, तो हम निस्सन्देह उस पर विचार करेंगे। इसी कारण सभी बैंकों को मिला कर एक नहीं किया जा सकता और सारे बैंकों को भारत के राज्य बैंक में नहीं मिलाया जा सकता।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत का राज्य बैंक अधिनियम, १९५५, भारत का राज्य बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, १९५९ और बैंकरों की पुस्तकें साक्ष्य अधिनियम १८९१ में संशोधन करने और कुछ मोटे-मोटे राज्य-सहयोजित बैंकों को बन्द करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

† **सभापति महोदय** : अब हम खण्डवार विचार करेंगें। कोई संशोधन नहीं है। मैं खण्डों को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ से ६, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ से ६, खण्ड १, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक

†**संभरण और आर्थिक तथा प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी)** : श्रीमान् श्री नन्दा की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ में अग्रेतर संशोधन करने वाल विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेजी में

(श्री हाथी)

सभा को पता है कि यह विधेयक १९५२ में पास हुआ था। यह एक बहुत सरल, विवाद-रहित तथा महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक में भविष्य निधि में कर्मचारियों और मालिकों का अंशदान ६ १/४ प्रतिशत से बढ़ा कर ८ प्रतिशत करने का उपबन्ध किया गया है। भविष्य निधि योजना कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा की योजना है। कम से कम भारत जैसे देश में, जहां कर्मचारियों की मजूरी अधिक नहीं है, ये लाभ और सेवा-निवृत्ति लाभ कर्मचारियों के लिये बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसी भविष्य निधि के अंशदान को ६ १/४ प्रतिशत से बढ़ा कर ८ प्रतिशत करने को यह विधान लाया गया है। इस अधिनियम में वर्तमान व्यवस्था यह है कि यदि कर्मचारी चाहे, इस अधिनियम, में वर्तमान व्यवस्था यह है कि यदि कर्मचारी चाहे, तो वह ८ प्रतिशत अंशदान कटवा सकता हैं, पर मालिक के लिये जरूरी नहीं है कि वह भी उसमें ८ प्रतिशत अंशदान जमा करे। अब इस संशोधन द्वारा मालिकों के लिये भी जरूरी कर दिया गया है कि वे भी ८ प्रतिशत उसमें जमा करायें।

सभा को पता है कि १९५२ में जब यह विधान पास किया गया था, तो इसके उपबन्ध केवल ६ उद्योगों पर लागू किये गये थे पर धीरे धीरे यह विधान अधिकाधिक उद्योगों तथा अन्य वाणिज्यिक संस्थापनाओं पर लागू किया गया और आज यह विधान ६९ उद्योगों पर लागू है। इस समय इस विधान के अधीन आने वाले कर्मचारियों की संख्या ३३ लाख के लगभग है और इसके अधीन आने वाले कारखानों की संख्या लगभग १९६ है।

सभा को पता है कि इन मामलों पर भारतीय श्रम सम्मेलन और कर्मचारियों तथा मालिकों द्वारा विचार किया जाता है। हम सभी चाहते हैं कि कर्मचारियों को अधिकाधिक लाभ मिले। अतः मुझे विश्वास है कि इस विधान की उपयोगिता तथा इसके औचित्य को ध्यान में रखते हुये हम सभी लोग इसका समर्थन करेंगे।

इस विषय पर विचार करते समय इस बात का भी ध्यान रखना था कि भविष्य निधि में अंशदान बढ़ाने से उत्पादन की लागत न बढने पाये, क्योंकि यदि लागत बढ़ेगी, तो मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा और इसका अन्तिम प्रभाव उपभोक्ता पर पड़े बिना न रह सकेगा अतः इस मामले पर विचार करने के लिये एक प्रविधिक समिति बना दी गई। समिति ने निर्णय किया कि इन चार उद्योगों पर केवल ०.२ प्रतिशत का अतिरिक्त भार पड़ेगा और इस भार को ये उद्योग आसानी से उठा लेंगे।

प्रविधक समिति की रिपोर्ट १९६१ में उपलब्ध हो गई थी और सरकार ने अंशदान की दर बढ़ाकर ८ प्रतिशत करने के लिये तुरन्त कार्यवाही शुरु कर दी और अब सरकार ने यह विधान पेश किया है। अन्य बहुत से उद्योग ऐसे हो सकते हैं जो यह भार उठा सकते हैं। परन्तु उनके संबंध में विधान बाद में पेश किया जायेगा। उनके संबंध में हमें अधिनियम में अन्य भी कई संशोधन करने होंगे। अन्य संशोधनों के संबंध में सरकार अभी विचार कर रही है। और बाद में वे लाये जायेंगे। इस विधान का एक सीमित लक्ष्य है कि इससे कर्मचारियों को लाभ होगा और साथ ही सरकार छोटी-छोटी बचतों को इकट्ठा कर लेगी और आज इस प्रकार की छोटी-छोटी बचतों का कितना महत्व है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता–दक्षिण पश्चिम) मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं परन्तु इस संबंध में मुझे कुछ कहना है। मैं समझता हूं कि सरकार का यह कदम हिचकिचाहटपूर्ण है और सरकार को यह कदम आज से बहुत पहले उठाना चाहिये था। मुझे लगता है कि मंत्रालय अभी भी आपात काल से पूर्व की स्थिति में रह रहा है।

इस मामले पर पिछले दो तीन वर्षों से चर्चा चल रही थी और त्रिदलीय सम्मेलन में भी इस पर विचार किया गया था। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने छोटी बचतों का भी उल्लेख किया। मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति में यह बहुत महत्वपूर्ण है। परन्तु साथ में मुझे यह भी कहना है कि छोटी बचतो के मामले में और राष्ट्रीय प्रयोजन के लिये उन्हें इकट्ठा करने के मामले में सरकार ने इतनी देर क्यों कर दी। सरकार को इस मामले में इतनी धीमी गति से काम नहीं करना चाहिये था, बल्कि शीघ्रता करनी चाहिये थी। साथ ही मैं नहीं समझता कि सरकार इस विधान को अन्य उद्योगों पर लागू करने से क्यों इनकार कर रही है। इसे केवल चार उद्योगों पर ही क्यों लागू किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसके पीछे मालिकों की अनिच्छा तथा उनका विरोध है। उस प्रविधिक समिति के इतिहास का मुझे ज्ञान है। मालिकों के आग्रह पर ही वह बनाई गई थी और उन्होंने हर स्तर पर यही बताने की कोशिश की कि अतिरिक्त भार सह पाना उद्योग के लिये बड़ा मुश्किल होगा, परन्तु बाद में इस समिति ने बहुमत से यह तय किया कि चार उद्योगों पर इसे लागू किया जा सकता है। मुझे बड़ा खेद है कि वस्त्र तथा सीमेंट उद्योग को इस विधेयक के अधीन नहीं लाया गया है। क्या सरकार समझती है कि भारत का वस्त्र उद्योग ०.२ प्रतिशत का भार उठाने में समर्थ नहीं है। जहां तक सीमेंट उद्योग का प्रश्न है सभा को पता है कि उसे एक समृद्ध उद्योग कहा जा सकता है। वस्त्र उद्योग में जूट उद्योग तो बहुत ही समृद्ध है और जूट उद्योग ने इस विधान के पास होने से पहले भी यह योजना अपने यहां चालू कर दी थी।

समझ में नहीं आता कि इस मामले में सूती वस्त्र उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग को क्यों छोड़ दिया गया है। यह भी कहा गया है कि समुचित जांच कराने के बाद केन्द्रीय सरकार अन्य उद्योगों को इस विधान के अधीन ला सकती है, परन्तु मेरा विचार है कि यदि हर उद्योग के मामले में ऐसी ही प्रविधिक समितियां बनाई गई और इसी प्रकार जांच का काम चलता रहा, तो मैं समझता हूं कि इसमें न तो सामाजिक सुरक्षा की भावना है और न छोटी बचतों को इकट्ठा करने की भावना है, जिसकी इस समय बड़ी आवश्यकता है।

अतः मेरा कहना है कि सभा के सब लोग इस विधान का स्वागत करेंगे परन्तु कम से कम बड़े बड़े और सुसंगठित उद्योगों को इस विधान के अन्तर्गत अवश्य लाने के लिये शीघ्र कदम उठाये जाये।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि इस मामले में उद्योग की भार वहन क्षमता को वाधक नहीं बनने दिया जाना चाहिये। यदि वेतन आदि का स्वरुप बदलने जैसी बड़ी बातें हों, तो उद्योग की भार वहन क्षमता का विचार करना आवश्यक है। परन्तु इन छोटे-छोटे लाभों के मामले में उद्योग की भार वहन क्षमता को वाधक न माना जाये।

किसी उद्योग की भार वहन क्षमता उसके कर्मचारियों की संख्या पर निर्भर नहीं होती। सिनेमा उद्योग एक इसी प्रकार का उद्योग है। शायद गत वर्ष यह विधान २० या २५ से अधिक कर्मचारी रखने वाले सिनेमा हाउसों पर लागू किया गया है, पर बहुत से ऐसे सिनेमा हाउस हैं, जो १०, १२ या १५ कर्मचारी रखते हैं और बहुत सा लाभ कमा रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

एक और प्रश्न है कि भविष्य निधि की जमा राशियों का अनिवार्य बीमा करने की एक योजना चालू की जाये। सरकार को इस योजना की व्यवहार्यता पर सभी दृष्टियों से विचार करके एक योजना बनानी चाहिये। इसका कारण यह है कि बहुत सी बड़ी-बड़ी फर्में भविष्य निधि की राशियों में अपना अंशदान जमा नहीं करतीं और कर्मचारियों की जमा राशि का दुरुपयोग भी करती हैं। अतः यदि अनिवार्य बीमा की योजना लागू कर दी जाये, तो इससे इस समस्या का निराकरण हो जायेगा।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मजूरी की परिभाषा में प्रेरणा बोनस और उत्पादन बोनस को भी सम्मिलित किया जाना चाहिये। भारत सरकार इस बात से सहमत है कि उत्पादन बोनस को मजूरी का भाग माना जाना चाहिये और सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी निकाली थी। परन्तु मिल मालिक इससे सहमत नहीं थे और उन्होंने मामले को उच्चतम न्यायालय के सामने पेश किया। उच्चतम न्यायालय में अधिनियम के शब्दों पर विचार हुआ और उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि विधान के शब्दों के अनुसार उत्पादन बोनस को मजूरी का भाग नहीं माना जा सकता। मेरा विचार है कि उच्चतम न्यायालय में कानून, के शब्दों पर ही विचार हुआ है। विषय की भावना पर विचार नहीं किया गया है। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार को एक संशोधन विधेयक पेश करके मजूरी की परिभाषा में इस ढंग से परिवर्तन करना चाहिये कि प्रेरणा या उत्पादन बोनस उसमें सम्मिलित हो जायें। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाता) : सबसे पहले इस विधेयक की पृष्ठभूमि के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह विधान सबसे पहले १९५२ में बना और इसे कुछ उद्योगों पर लागू किया गया। धीरे धीरे सरकार ने इसे अन्य उद्योगों पर भी लागू किया और इस समय ६९ उद्योगों पर यह विधान लागू है।

मेरा विचार है कि इस विधान को केवल चार उद्योगों पर ही नहीं बल्कि अधिकाधिक उद्योगों पर लागू किया जाना चाहिये, यदि सरकार यह समझती हो कि उद्योग इस भार को उठाने में समर्थ हैं। मैं समझता हूं कि यह कोई इतना बड़ा भार नहीं है कि उद्योग इसे उठा न सकें। जब उद्योग ६¼ प्रतिशत का भार उठा रहे हैं, तो इतना थोड़ा सा अतिरिक्त भार उठा पाना उनके लिये कठिन न होगा।

सरकार को अधिकाधिक उद्योगों पर इस विधान को लागू करना चाहिये। और अंशदान की दर भी बढ़ानी चाहिये ताकि अन्य मजदूर भी इसका लाभ उठा सकें। मजदूर के पास सेवा से निवृत होने के बाद केवल यही एक राशि बच रहती है, जिसके सहारे उसे अपना शेष जीवन बिताना होता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उत्पादन बोनस के संबंध में मैं श्री गुप्त के सुझाव का समर्थन करता हूं। वैसे सिद्धांत की दृष्टि से मैं उसे उत्पादन बोनस मानने के लिये तैयार नहीं हूं। फिर भी मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह एक संशोधन विधेयक पेश करे और मजदूरी की परिभाषा में परिवर्तन करे। मेरा सुझाव है कि इस उत्पादन बोनस को मजूरी का नाम दिया जाये, ताकि कर्मचारी उत्पादन बोनस पर भी अंशदान कटवा सकें।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। प्राविडेंट फंड की दर को सवा छः परसेंट से बढ़ा कर जो आठ परसेंट किया गया है, यह बहुत अच्छी चीज है और मैं समझता हूं कि इसका हर भाई स्वागत करेगा।

लेकिन इसमें एक सवाल पैदा होता है कि काफी दिन पहले इसी सदन में हम लोगों ने एक सुझाव रखा था कि इसको दूसरे उद्योगों में भी लागू किया जाये। इसको अभी तक भी माना नहीं गया है। मैं समझता हूकि कम अज-कम आज जबकि देश को पैसे की जरुरत है, इसको अगर टैक्सटाइल इंडस्ट्री में, शूगर इंडस्ट्री में, ज्यूट इंडस्ट्री में तथा और इंडस्ट्रीज में जहां पर कि मुनाफ की कमी नहीं है और जो उनका मुनाफा है वह जाहिरा तरीके से ही इतना है कि वे इस पैसे को अदा कर सकती हैं, लागू कर दिया जाये तो कोई हानि की बात नहीं होगी, इससे देश को लाभ ही होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि मजदूरों के बुढ़ापे का यही एक मात्र सहारा होता है। फिल्हाल अगर इसको बढ़ा दिया जाये तो देश को जो कुछ ज्यादा आमदनी होगी, उससे चीनी आक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिये जो पैसे की हमें जरुरत है, वह पैसा भी हमें ज्यादा मात्रा में मिल सकता है। इस वक्त यह सिर्फ चार इंडस्ट्रोज पर लागू है, एक सिग्रेट इंडस्ट्री है, एक पेपर इंडस्ट्री है, एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है और एक और इंडस्ट्री है मैं समझता हू कि इस एमरजेंसी के समय में अगर हम चाहें तो इसको टक्सटाइल शूगर, ज्यूट तथा ऐसी ही दूसरी इंडस्ट्रीज पर बड़ी आसानी से लागू कर सकते हैं। वहां पर आज यह लागू नहीं है। आज कम से कम जब कि मालिकान चाहते हैं कि एमरजेंसी को ध्यान में रखते हुये, देश सेवा के लिये मजदूर ज्यादा काम करें, इतवार को काम करें तथा दूसरी छुट्टियों के दिन भी काम करें, तो देश के हितों में यह मांग है कि इसको बढ़ा कर आठ परसेंट कर दिया जाये तो वैसा करने के लिये भी हम को तैयार रहना चाहिये। और वैसा कर दिया जाना चाहिये। इससे मजदूरों के बुढ़ापे का जो यह एक मात्र सहारा है, उससे इनका ही कल्याण नहीं होगा बल्कि देश का भी कल्याण होगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करुंगा कि जिन इंडस्ट्रीज का मैंने नाम लिया है, उनमें हमेशा के लिये इसको वह बढ़ाना नहीं चाहते हैं और समझते हैं कि इसके लिये और जांच पड़ताल की आवश्यकता है, यह देखने की आवश्यकता है कि मुनाफा काफी होता है या नहीं होता है, तो इस एमरजेंसी के समय के लिये तो कम से कम इसको बढ़ा कर आठ परसेंट कर दें। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी से कि क्या उनको ध्यान है कि क्या वाकई में आज इस बिल का फायदा दूसरे मजदूरों को भी मिलेगा या वह इस वक्त नही मिलेगा। मेरा यह कहना इस लिये है कि आज हम लोग मजदूरों को यह नारा दे चुके हैं कि यह वक्त है कि वह सरकार का खुले आम समर्थन करे और अगर जरूरत पड़ै तो और ज्यादा काम करें, कम पैसा लें, ओवर टाइम न लें। इस तरह के प्रस्ताव पास हो चुके हैं। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि एम्प्लायर और एम्प्लायीज को मिल कर रेल के दो पहियों की तरह से चलना चाहिये। इस देश को मंजिले मकसूद तक पहुंचाने के लिय उन्हें ८ फी सदी देने में कोई एतराज नहीं होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मानता हूं कि इस इमजन्सी के समय में मजदूर को ८ परसेन्ट देंगे ताकि उन को उस का फायदा हो, उनके बाल बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो और उन के जीवन को सहारा मिलने की बात हो।

†**डा० मेलकोटे** (हैदराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मौजूदा विधयक बहुत देर से प्रस्तुत किया गया है। फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यों ने दो मुख्य बातें कही हैं— इसके अधिकार क्षेत्र में अधिक उद्योग सिम्मिलित करना चाहिये और उत्पादन बोनस आदि भी गणना करते समय सम्मिलित करना चाहिये। मैं इन दोनों बातों का समर्थन करते हुए विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जैसा अभी डा० मेलकोटे ने कहा, इस बिल को बहुत देर पहले आना चाहिये था। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि पिछले १४ वर्षों में जिस रफ्तार से हम इस मामले में चले है वह रफ्तार कुछ धीमी रही है। मैं चाहता हूं कि यह रफ्तार तेज हो जाये। यह एक सोशल सिक्योंरिटी मेजर है, और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सोशल सिक्योंरिटी की हर मजदूर को जरूरत है। यह एक बुनियादी जरूरत है हर एक मजदूर के लिये जो कि हम को अब तक तमाम मजदूरों पर लागू कर देना चाहिये था। मैं इस का स्वागत करता हूं।

अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने कुछ कामर्शल इम्प्लायीज को इस में शामिल कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि कामर्शल एम्प्लायीज की जो मुख्तलिफ केटगरीज़ हैं उन के ऊपर भी तेजी से इसे लगाया जायेगा। इसी तरह से मैं आशा करता हूं कि इस में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जायेगी। जहां तक इस में गवर्नमेंट ने इन्क्वायरी की बात रक्खी है वह इन्क्वायरी या तहकीकात कर ले मगर इस तहकीकात में वह बहुत ज्यादा देर न लगाये। यह मामला ऐसा है जो कि बुनियादी जरूरत का है। इस के लिये किसी लम्बी चौड़ी इन्क्वायरी की जरूरत नहीं है।

हम ने हमेशा ८ १/३ परसेन्ट की मांग रक्खी थी, लेकिन उस को अब ८ परसेन्ट किया गया है। इस में जो कुछ असर इम्प्लायीज पर पड़ेगा वह दरअसल ·२ पर्सेन्ट से अधिक नहीं पड़ता है। इस में सिर्फ ·२ परसेन्ट कौस्ट बढ़ेगी। जितनी लेबर कौस्ट पहल इंडस्ट्री की है उसमें अगर ·२ परसेंट बढ़ जाता है तो मैं समझता हूं कि उस को हर एक इंडस्ट्री बर्दाश्त कर सकती है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि इस में जो भी फैक्ट्रीज कवर होती है उन में पांच वर्कर्स तक की फैक्ट्रीज़ या इस्टैब्लिशमेंट्स को हमें शामिल करना चाहिये। इस से हमें एक फायदा यह होगा कि जो रुपया हम इकट्ठा करते है वह स्माल सेविंग्स से इकठ्ठा करते है अगर हम इस विधेयक में ५ वर्कर्स तक के एस्टेब्लिशमेंटस को शामिल कर लें तो हमारे पास बहुत ज्यादा रुपया आयेगा। इस वक्त हम जो कुछ कर रहे हैं उस से मेरा अन्दाजा है कि तकरीबन १०० करोड़ रु० और आ जाता है। इस बिल के मातहत तकरीबन ६ या ६$^{1}/_{2}$ लाख मजदूर आ जायेंगे और इस में कोई १०० करोड़ का फर्क पड़ेगा। इस वक्त हम को रुपये की जरूरत है और वह रुपया आप के नेशनल काम में आयेगा। यह सब से बड़ा फायदा इस में है, इसलियें मैं समझता हूं कि इस में ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को शामिल करना चाहिये।

अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि इस कानून का जो एग्जिक्यूशन होगा उस में हम को ज्यादा स्ट्रिक्टनेस बरतनी चाहिये। बहुत से एम्प्लायर्स एम्प्लायीज से रुपया काट कर ले लेते हैं और एम्प्लायीज का हिस्सा और अपना हिस्सा दोनों अपने पास रख लेते है। इस तरह का काफी रुपया हमारे पास नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में काफी देख भाल होनी चाहिये और गवर्नमेंट के पास पूरी इन्फार्मेशन इस के सम्बन्ध में होनी चाहिये। पहले हम ने ५० मजदूर

†मूल अंग्रेजी में

की सीमा रक्खी थी, फिर २० की। आज कल एक टेंडेंसी यह भी देखी जाती है कि जहां किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में या फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या बढ़ी कि एम्प्लायर अपने एस्टैब्लिशमेंट को स्प्लिट अप करने लगता है। जो भी बड़ी फैक्ट्री होती है वह देखती है कि अगर निश्चित सीमा से अधिक मजदूर आ गये है तो वह बनावटी तौर पर अपनी फैक्ट्री को कम मजदूरों वाली फैक्ट्री बना देती है। फैक्ट्री में एक मामूली दीवार जैसी चीज खड़ी कर के कहा जाता है कि यह दो जुदा फैक्ट्रीज़ है। उन के नाम अलग अलग कर दिये जाते हैं और उस को कर के जो प्राविडेंट फंड का प्राविजन होता है उस से बचने की कोशिश करती है। हमें इस बारे में काफी चौकन्ना रहना चाहिय और इस चीज को हम को इ,स तरह से लागू करना चाहिये जिस में कि जो मजदूर उस से फायदा उठाते हैं उन को इस तरह से नुक्सान पहुंचाने की कोशिश न हो।

एक बात और है जिस का सम्बन्ध वेजेज से है। इस में उस की डेफिनिशन भी बदलनी चाहिये। जो उस की फैअर वैज है वह भी उस को मिलनी चाहिये। लेकिन उस की वेजेज में उसके सब इमालुमेंट्स शामिल होने चाहियें। वे सब उस की वेज के हिस्से है। आज वर्कर्स को एम्प्लायर्स की ओर से फेवर वेज या लिविंग वेज नहीं मिलती है। यह उन की विशेष कठिनाई है। इस के लिये कुछ ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये जिस से कि जो भी उस के इमालुमेंट्स है वे सब उस की वेज में शामिल हो जायें और वे लोग इस फायदे से महरूम न रहें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जो बातें मैंने और मेरे दोस्तों ने यहां कही हैं उन की तरफ माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे और इस के बारे में जो कमियां है वह उन को पूरा करेंगे।

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है मैं उसका समर्थन करता हूं, क्योंकि इसमें प्रोविडेंट फण्ड में ६।।) प्रतिशत से बढ़ा कर कटौती ८ प्रतिशत कर दी गई है। इस सम्बन्ध में मैं दो चार बातों की तरफ़ माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

इस बिल के अन्दर जितने कारखानों पर इस को लागू करने की बात कही जाती है उतने कारखानों पर लागू होने की बात की पूर्ति इस से होती नहीं मालूम होती है। आज हमारे देश में ऐसे बहुत से कारखाने हैं और व्यवसाय हैं जिन पर इसको लागू होना चाहिये। इस लिये चाहे छोटे कारखाने हों या बड़े कारखाने हों, उन सब पर इस को लागू करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। ऐसे भी बहुत से उद्योग हैं, जैसे कि सिनेमा हैं, होटल हैं, जिन में बीस बीस आदमी काम करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से उद्योग हैं जिन पर यह लागू नहीं है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आज हिन्दुस्तान के मजदूर बड़े उत्साह के साथ देश पर जो आपत्ति आई है उस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ऐसे अवसर पर हमें अपने मजदूरों को खुश रखने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन इस बिल में यह जो गुंजाइश रक्खी गई है कि इस कानून को जिसको उचित समझेगी लागू करेगी, यह ठीक नहीं है। जब भी इस बारे में कोई विचार किया जाय तो समय समय पर संसद् की राय लिये बग़ैर न किया जाय।

आज देश भर में मजदूरों के सम्बन्ध में जो समस्यायें हैं उन को हल करने के लिए हमारे मजदूरों की राय ली जानी चाहिये। और जिस कारखाने में पांच व्यक्ति काम करते हैं उन कारखानों पर इस कानून को लागू करना चाहिये। इस सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ का एक प्रतिनिधि मंडल हमारे श्रम मंत्री श्री जयसुख लाल हाथी जी से मिला था, आज से कोई तीन या चार महीने पहले। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि वे इस पर छः महीने बाद विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि यह ऐसी बातें हैं जो कि बहुत जल्दी लागू होनी चाहियें। इस में इस बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है

(श्री कछवाय)

कि कौन कौन से कारखाने ऐसे हैं जिन पर यह कानून लागू नहीं किया गया है। मुझे अनुभव है कि मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत से कारखाने हैं जिन पर यह कानून लागू नहीं हालांकि यह कानून बन चुका है कि २० आदमी जिस फ़ैक्ट्री में काम करते हैं उस पर यह लागू होगा। वहां आज ऐसे बहुत से कारखाने मौजूद हैं जिन में २००, २०० और ५००, ५०० मजदूर काम करते हैं लेकिन उन पर यह कानून लागू नहीं है इसलिए मैं सरकार से बड़ी नम्रता से निवेदन करता हूं कि उस को इस की छान बीन करनी चाहिये और जिस कारखाने पर यह लागू न हो उस के मालिकों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिये ताकि यह जल्दी से लागू हो जाय।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, न केवल उन सदस्यों ने जिन का मजदूरों से सम्बन्ध है, बल्कि कई सदस्यों ने, जो कि इस से सम्बन्धित नहीं हैं, इस विधेयक का स्वागत किया है। इसमें मजदूरों के प्रावीडेंट फंड का हिस्सा बढ़ा दिया गया है। यह बिल ज़रा देर से आया है, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद वाली कहावत के अनुसार आज इस का आना विशेष रुप से स्वागत योग्य है क्योंकि आज मजदूर लोग अपनी एड़ी चोटी का पसीना बहाकर काम में लगे हुए हैं और वे कुछ अतिरिक्त पैसा लिए बग़ैर अतिरिक्त काम करने को तैयार हैं। ऐसे समय में इस विधेयक का आना विशेष रुप से सराहनीय है।

लेकिन इस स्वागत के बाद मैं दो एक बातों की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा अभी मनानीय मंत्री जी इसको केवल ६ उद्योगों पर ही लागू करना चाहते हैं। आज इन ६ उद्योगों में जिस तरह मजदूर काम करते हैं उसी प्रेम, सहानुभूति और मेहनत से दूसरे उद्योगों में भी मजदूर काम करते हैं तो मेरा सुझाव यह है कि इस को अन्य उद्योगों में भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं — जैसा कि मजदूर नेता श्री विद्यालंकार जी ने कहा — कि हम कानून तो अच्छे बनाते हैं लेकिन सब से बड़ी आशंका हम को यह रहती है कि जो इस को कार्यान्वित करने वाले हैं वे अपना काम सही तौर से करेंगे या नहीं। अक्सर देखा गया है कि चाहे अच्छे से अच्छा कानून यहां से पास किया जाए लेकिन कुछ ऐसे हथकंडे लगाये जाते हैं कि उनसे मजदूरों को लाभ नहीं मिल पाता। जैसा कि अभी एक माननीय मित्र ने बतलाया बहुत से कारखानेदार ऐसा करते हैं कि अपने उद्योग को खंड खंड कर देते हैं जिससे एक खंड में २० आदमी न रहें और उन पर यह कानून लागू न हो सके। तो इस ओर भी ध्यान रखना चाहिये।

इस बिल में मजदूरों के प्रावीडेंट फंड का परसेंटेज बढ़ाया गया है। यह अच्छी बात है। इसको अधिक से अधिक उद्योगों पर लागू करना चाहिये और हमारे अफसरों को यह देखना चाहिए कि कारखाने वाले ऐसे हथकंडे न लगा पावें कि मजदूर इसके लाभ से वंचित रह जाएं। यही दो मेरे सुझाव हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल स्वागत करता हूं।

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) उपाध्यक्ष महोदय, जहां हम एक तरफ समाजवादी समाज की व्यवस्था की बात करते हैं और गरीबों और किसानों के बारे में बड़ी बड़ी अच्छी स्पीचें देते हैं, वहां यह देख कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आपने सवा ६ पर सेंट प्रावीडेन्ट फंड काटने का नियम केवल ६ उद्योगों में चलाया और फिर उसको ६३ उद्योगों में बढ़ाया। अब जो यह आठ परसेंट बढ़ाया जा रहा है इस को माननीय मंत्री जी केवल चार उद्योगों पर लागू करना चाहते हैं। सरकारी नौकरों को हम देखें तो उनके लिए जनरल प्रावीडेंट फंड और कांट्रीब्यूटरी प्रावीडेंट फंड की स्कीम है जिसमें

उनका रुपये में एक आना से ले कर ढ़ाई आना तक काटा जा सकता है। यानी १५ पर सेंट तक काटने की स्कीम है । लेकिन जो मजदूर कारखानों में काम कर रहा हैं, आपका प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, आपके लिए हथियार बना रहा है, कपड़ा आदि भी बना रहा है, उसके लिए आप अपनी स्कीम केवल चार उद्योगों तक ही सीमित रखना चाहते हैं। इससे मुझे बड़ा ताज्जुब मालूम होता है।

हम कोशिश करते हैं कि स्माल सेविंग हो, लोग बीमे में ज्यादा रुपया जमा करें जिससे देश के पास रुपया आवे और उससे योजनाओं का काम आगे बढ़ाया जाए। ऐसी अवस्था में यह समझ में नहीं आता कि इस प्रावीडेंट फंड की स्कीम को क्यों कुछ उद्योगों तक ही सीमित रखा जाता है। आज हमारे मजदूर दिन रात काम करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं। उनको इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की कोशिश करनी चाहिये और इस स्कीम को ज्यादा से ज्याद उद्योगों में लगा देना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मजदूरों को कभी कभी बोनस मिलता है उस पर भी आठ पर सेंट के हिसाब से जनरल प्रावीडेंट फंड में रकम काट कर जमा की जानी चाहिए, क्योंकि बोनस भी तो सेलेरी का अंग हैं। मुझे उम्मीद है कि जनरल प्रावीडेंट फंड की योजना सब कारखानों में लागू की जाएगी। इस से मजदूर ज्यादा मेहनत से काम करेंगे और अपना बुढ़ापा काटने के लिए भी उनके पास कुछ पैसा हो जाएगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं किन्तु इसके साथ अनुसूची होनी चाहिये जसमें उद्योगों के नाम दिए गए हों। उद्योगों की जांच कराने और उनकी अधिसूचना की शक्ति सरकार को दी गई है।

कुछ उद्योगों में देने की क्षमता का प्रश्न उत्पन्न होगा। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करुंगा कि जिन श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है कहीं उसके लिए उच्चतम न्यायालय में कठिनाई उत्पन्न न करदी जाए। श्रमजीवी पत्रकार अधिनियम उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था क्यों कि न्यायालय की राय में उस में देने की क्षमता पर पहले से विचार नहीं किया गया था।

कई ऐसे विशाल औद्योगिक उपक्रम हैं जहां भविष्य निधि का दुरुपयोग किया गया है ; स्वयं श्रमिकों ने उसे हज्म कर लिया और श्रमिकों को उसका हिसाब भी नहीं दिया गया। सरकार को यह बात मालूम है। जो मालिक ऐसा करते हैं वे सार्वजनिक नैतिकता को आघात पहुंचाते हैं और स्वयं श्रमिकों का भी प्रशासन में विशवास डिग जाता है।

†**श्री हाथी** : माननीय सदस्यों द्वारा विधेयक का स्वागत करने के लिए मैं उनका आभारी हूं। अन्य उपबंधों को इसमें सम्मिलित करने की ओर ध्यान दिलाने के लिए भी मैं उनका आभारी हूं। जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था सरकार उन उपबंधों पर विचार कर रही है जिनमें संशोधन करने की आवश्यकता है।

सरकार का सदा यही मत रहा है कि इसमें उत्पादन बोनस शामिल करना चाहिये तथा आवश्यक अनुदेश द्वारा सरकार ने यह किया भी है। किन्तु उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा करना वैध नहीं है। सरकार इस विषय पर विचार कर रही है किन्तु वह उसमें विलम्ब करना

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हाथी]

उचित नहीं समझती है। संविदागत दायित्व के अंशदान के प्रश्न का उल्लेख नहीं किया गया है इनकी उपेक्षा नहीं की जा रही है। सरकार विभिन्न संशोधनों को अधिनियम में समाविष्ट करने का विचार कर रही है।

मालिकों द्वारा की गई गलतियों के बारे में कुछ कहा गया है। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार ने मालिकों से समझौता कर लिया है तथा उन्हें रुपये वापस ले कर छोड़ दिया जाता है। किन्तु ऐसी बात नहीं है। मैं सभा को यह बता दूं कि गलती करने वाले मालिकों के विरुद्ध ४,७७२ मुकदमें चलाय गये हैं इनमें से १,९१६ मामलों में दण्ड दिया गया है। केवल १४५ मामलों में दोषमुक्ति हुई है। शेष मामले विचाराधीन है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मुकदमों की यह संख्या दस वर्षों में है।

†**श्री हाथी** : माननीय सदस्य जानते हैं कि पहले यह केवल छः उद्योगो तक ही सीमित था। फिर तेरह और बाद में चार उद्योग और इसमें सम्मिलित किये गए। १९५९ में ३९ उद्योग थे। विगत तीन वर्षों में तीस उद्योग और बढ़ाए गए हैं। इस दृष्टि से प्रारम्भ के छः या सात वर्ष में बहुत कम अभियोग चलाये गए थे। दण्ड का लेख स्वयं अधिनियम में कर दिया गया है। अपराधी मालिकों के प्रति नरमी नहीं बरती जाती है। श्रमिको के रुपयों का दुरुपयोग अन्याय है।

एक बात यह कही गई कि यह चार उद्योगों तक ही क्यों सीमित है। जैसा इस संशोधन से प्रकट है, राज्य सभा में विधेयक पुरः स्थापित होने और इसके वर्तमान संशोधित रूप में यह केवल चार उद्योगों तक ही सीमित नहीं है। सरकार इसे कई अन्य उद्योगों पर भी लागू कर सकती है। राज्य सभा में मैंने संशोधन केवल इस अभिप्राय से स्वीकार किया था कि आजकल आपातस्थिति है और बचत की आवश्यकता है। हमने सोचा कि शक्ति प्राप्त कर हमें यथासंभव अधिकतम उद्योगों पर इसे लागू करना चाहिए।

जिस जांच का उल्लेख किया गया है उसमें अधिक समय नहीं लगेगा। यह अत्यंत शीघ्र और संक्षिप्त होगी। किसी मामले में तो यह नैमित्तिक जांच ही रहेगी। किन्तु हम इस समय बचत का महत्व अनुभव करते है।

इस संकट काल में श्रमिकों की माननीय समस्यों ने जो सराहना की है उसका मैं भी समर्थन कर करता हूं। ये श्रमिक स्वेच्छांपूर्वक अतिरिक्त काम कर रहे है--कभी रविवार और आवश्यकतानुसार तीन पारी में काम कर। अनेक श्रमिकसंघों से मुझे पत्र मिले है जिनमें एक दिन का वेतन अथवा मजूरी देने के लिए कहा गया है। कुछ मामलों में विशषतः ११ रुपये या १२ रुपये बचत और १ रुपया दान देने के लिए कहा गया है। कई रूपों में श्रमिक आगे आ रहे है। देश की आवश्यकता की वर्तमान घड़ी में यह भावना प्रदर्शन करने के लिए उनकी सराहना करने में मैं भी माननीय सदस्यों का सहयोग करता हूं।

इसलिये श्रमिकों का हित मंत्रालय के ध्यान में है। संसाधनों का केन्द्रीकरण महत्वपूर्ण बात है। हम श्रमिकों को सेवानिवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए तत्पर हैं। यह अधिसूचना द्वारा दिया जा सकता है और बार बार सभा के समक्ष उसे लाने की आवश्यकता नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को

---

†मूल अंग्रेजी में

आश्वासन देता हूं कि आवश्यक जांच के पश्चात् कई अन्य उद्योगों पर यह लागू कर दिया जायेगा। यह जांच किसी भी स्थिति में वृहद् अथवा टैकनीकल नहीं होगी।

बोनस और त्रुटि करने वाले मालिकों का भी उल्लेख किया गया है। कोई अन्य बात उत्तर देने के लिए नहीं बची है। अतः मैं उसे सभा द्वारा स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९६२ में, अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा परित रूप में विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : हम अब खण्डवार विचार करेंगे। इस में कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड २ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड १, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†**श्री हाथी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाय"।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

भाँडागार निगम विधेयक

†**खाद्य उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कृषि उत्पादन तथा कुछ अन्य वस्तुओं के भण्डागार में रखने के प्रयोजन के लिय कुछ निगमों के निगमन तथा विनियमन और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। यह विवादाहित विधेयक है। संविधि पुस्तक में एक और विधान है जिसमें इस विधेयक के ही अधिकांश विधेयक और लक्ष्य दिये गये है। वह अधिनियम कृषि उत्पाद (विकास और भंडागार) निगम अधिनियम, १९६५ है। कृषि खाद्य और कृषि मंत्रालय के अनुरोध पर उक्त कानून बनाया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री आ० म० थामस]

केन्द्रीय भाण्डागार निगम, विभिन्न राज्य भाण्डागार निगम और राष्ट्रीय सहकारिता विकास और भाण्डागार बोर्ड कृषि उत्पाद (विकास और भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ के उपबंधों के अधीन स्थापित किये गये थे। जब इन संस्थाओं का आविभार्व हुआ तो इस विषय के प्रशासन का उत्तरदायित्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का था। दिसम्बर, १९५८ में सहकारिता का विषय सामुदायिक विकास मंत्रालय के सुपुर्द किया गया। उसी समय राष्ट्रीय सहकारिता विकास और भाण्डागार बोर्ड का प्रशासन भी उसी मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया गया। भाण्डागार का विषय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से संबद्ध रहा। सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता विकास और भाण्डागार बोर्ड तथा भाण्डागार विषयों को विभक्त करने के कारण ही मौजूदा व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न कार्यों की देखभाल के लिए दो मंत्रालय थे और सहकारिता विकास तथा भाण्डागार की जांच के लिए दोनों में गठबंधन कर एक बोर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। अत : विगत अधिवेशन में सामुदायिक विकास सहकारिता और पंचायत राज मंत्री ने सभा के सामने एक विधेयक रखा था। सभा ने उसे पारित कर दिया है और अब वह कानून बन गया है। वह राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम विधेयक, १९६२ है। यह गत अप्रैल में पुर: स्थापित किया गया था और सभा ने उसे भी पारित कर कानून का रूप दे दिया है।

प्राक्कलन समिति की यह सम्मति थी कि भाण्डागार निगम के प्रशासन के बारे में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का कुछ नियंत्रण रहना चाहिये। किन्तु कई कारणों से सरकार के लिए इस सम्मति को स्वीकार करना सम्भव नहीं था। प्रथम, केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगम सहकारी संगठन है। किन्तु राष्ट्रीय सहकारी विकास बोर्ड और केन्द्रीय तथा राज्य भाण्डागार निगमों के कार्य संचालन में समन्वय की आवश्यकता है।

इसी प्रयोजन से हमने कुछ उपबंध रखे है जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय भाण्डागार निगम को राष्ट्रीय सहकारिता विकास बोर्ड और राष्ट्रीय सहकारिता विकास बोर्ड को केन्द्रीय भाण्डागार निगम में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। उनके विकास के लिए भी दोनों मंत्रालयों में परस्पर सहयोग और समायोजन है

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २९ नवम्बर, १९६२ / ८ अग्रहायण, १८८४ (शक) को बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २८ नवम्बर, १९६२

---

७ अग्रहायण, १८८४ (शक)

विषय **पृष्ट**

प्रश्न का मौखिक उत्तर—

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ३—चीनी सेना द्वारा बंदी बनाए गए भारतीय . १५८३—८६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . १५८६—८७

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २० नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५४८ में प्रकाशित चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(दो) दिनांक २०नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५४९ में प्रकाशित चावल (पंजाब) मूल्य नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(तीन) चावल (पंजाब से आयात) आदेश, १९६१ को रद्द करने वाली दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १५६१ ।

(२) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १७ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५४१ में प्रकाशित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) सातवां संशोधन नियम, १९६२ की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश १५८७

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा अपनी २६ नवम्बर, १९६२ की बैठक में लोक-सभा द्वारा २२ नवम्बर, १९६२ को पास किये गये पांडिचरी (प्रशासन) विधेयक, १९६२ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गयी है ।

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—

उपस्थापित—ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया . . १५८७

सदस्य की गिरफ्तारी . . . . . .

उपाध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को सूचित किया कि उन्हें नई दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक के पुलिस सुपरिन्टेन्डन्ट्स से यह सूचना मिली कि मद्रास सरकार द्वारा जारी किये गये निरोध आदेश का पालन करते हुए लोक-सभा के सदस्य श्री के० आनन्द नम्बियार को २८ नवम्बर १९६२ को नई दिल्ली में उनके निवास स्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें मद्रास भेज दिया जायेगा।

विधेयक पारित . . . . . १५८७—१६२७

(१) भारत की प्रतिरक्षा विधेयक पर अग्रेतर खंडवार विचार समाप्त हुआ तथा विधेयक संशोधित रुप में पारित किया गया।

(२) वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव किया कि राज्य सहयोजित बैंक (विविध उपबंध) विधेयक पर विचार किया जायें। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

(३) अर्थ और प्रतिरक्षा समन्वय मंत्रालय में संभरण मंत्री (श्री हाथी) ने प्रस्ताव किया कि कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रुप में विचार किया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया।

विधेयक विचाराधीन १६२७–२८

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० मु० थामस) ने प्रस्ताव किया कि भांडागार निगम विधेयक पर विचार किया जाये। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गुरुवार, १९ नवम्बर, १९६२/८ अग्रहायण, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि—

भांडागार निगम विधेयक पर अग्रेतर विचार तथा उसका पारित किया जाना, और कामगर (प्रतिकर) संशोधन विधेयक पर विचार और उसका पारित किया जाना।

GMGIPND—LS III—2410 (Ai) LSD—9-1-63—140.

विषय-सूची—क्रमशः

	पृष्ठ
कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	१६१७
श्री हाथी	१६१७–१८
श्री इन्द्र जीत गुप्त	१६१९–२०
श्री काशी नाथ पांडे	१६२०
श्री स० मो० बनर्जी	१६२१
डा० मेलकोटे	१६२२
श्री अ० ना० विद्यालंकार	१६२२–२३
श्री कछवाय	१६२३–२४
श्री भागवत झा आजाद	१६२४
श्री विश्राम प्रसाद	१६२४–२५
श्री च० का० भट्टाचार्य	१६२५
खण्ड १ और २	१६२७
पारित करने का प्रस्ताव	१६२५–२७
श्री हाथी	१६२५–२७
भांडागार निगम विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	१६२७–२८
श्री अ० मु० थामस	१६२७–२८
दैनिक संक्षेपिका	१६२९–३०

PLS. 41. X. 16. 62.
140

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।